

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : eeo2023@punjabli.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की दिनांक 13/10/2023 को संघन 421वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को डॉ. बी.पी. मोहनरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संघन हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री एन.के. पन्नाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री विजय सिंह धुप, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री डी. रघुल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 421वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को संघन हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के सम्मलेन में प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विधिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: गैर/गुप्त खनिजों एवं औद्योगिक परिवर्तनकारी खनिजों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित पर्यावरणीय सीक्युरिटी / टीडीआर/अन्य आवश्यक निर्देश दिए जायें।

1. मेसर्स मधोदा जॉयन स्टोन कारी (प्री- श्री राघुदान कश्यप), वाम-खोटा, तहसील-बलार, जिला-बलार (अधिसूचना का नशी क्रमांक 2429)

ऑनलाइन आवेदन - इलेक्ट्रॉनिक नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईए/420348/2023, दिनांक 17/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीक्युरिटी हेतु आवेदन किया गया। परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में खनिज होने से ज्ञात दिनांक 18/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा पत्रित जानकारी दिनांक 08/08/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।



प्रस्ताव का विवरण – यह समता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व में संघटित चुना पत्थर (बीज खनिज) खदान है। खदान प्राय-शक्ति, लक्ष्मील-बनार, जिला-बलर विधा समता क्रमांक-878, कुल क्षेत्रफल – 2.4 हेक्टर में है। खदान की आवेदित रखरखन समता-88,281 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एचई.सी., प्रतीपगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 80वीं बैठक दिनांक 13/10/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु की सहित सभी अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में चुना पत्थर खदान समता क्रमांक 878, कुल क्षेत्रफल 2.4 हेक्टर, समता 12,434 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निदेशन प्रधिकरण, जगदलपुर, जिला-बनार द्वारा दिनांक 08/02/2017 को जारी की गई।
- यह पर्यावरणीय स्वीकृति श्री संकर सोढ़ी को राखनि चूड़ा सीज निष्कारन दिनांक 06/11/2008 से 05/11/2009 अर्थात् 30 वर्ष तक प्रदान की गई। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जगदलपुर, जिला-बलर के ज्ञान क्रमांक 2819/खनिज/खलि.1/उ.प.42/09/2017 जगदलपुर, दिनांक 12/09/2017 द्वारा जारी ज्ञान आदेश अनुसार सीज का ट्रांसफर श्री राखुदास कश्यप के नाम पर किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। आवेदित प्रकरण समता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अंकित मेमोरैण्डम दिनांक 08/08/2022 के अनुसार समता विस्तार के प्रकरण पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही का चलन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्दिष्ट शर्तानुसार 550 नम नूतनीकरण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि सख्त), जगदलपुर, जिला-बनार के ज्ञान क्रमांक 114-1/खनिज/खलि.1/न.अ./42/09/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा जारी ज्ञान पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये रखरखन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	रखरखन (टनमीटर)
2016-17	415
2017-18	6,038
2018-19	7,080
2019-20	1,520
2020-21	2,300
2021-22	3,600

2022-23	600
---------	-----

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संख्या में ग्राम पंचायत खाता का दिनांक 11/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – एंथ्रोपॉलॉजी क्वार्टी प्लान एलांग विथ इन्वायर्समेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोटेक्टिव स्कोपी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-बस्तर बस्तर डीवलाप के द्वारा क्रमांक 878/खनिज/संख्या. 30/2021-22 दीयाया, दिनांक 14/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 887/खनिज/खलि.4/उ.प. 42/08/2022 जगदलपुर, दिनांक 08/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 889/खनिज/खलि.4/उ.प. 42/08/2022 जगदलपुर, दिनांक 08/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वहां खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एरीकट बॉय एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण – पूर्व में लीज श्री शंकर सोड़ी के नाम पर थी। लीज क्षेत्र 30 वर्ग कर्वात दिनांक 08/11/2008 से 08/11/2009 तक है। उपर्युक्त कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 2918/खनिज/खलि.1/उ.प.42/08/2017 जगदलपुर, दिनांक 12/08/2017 द्वारा जारी अंतिम आवेदन अनुसार लीज का ट्रांसफर श्री लक्ष्मण शर्मा के नाम पर किया गया है।
7. नू-स्वामि – नूनि की वस्तु के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन के संख्या में नू-स्वामी का सहायता पत्र (Notarized) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक दूरी का परीक्षण करती हुए वनसंरक्षणविधायी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-खाता 450 मीटर, स्कूल ग्राम-खाता 450 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-खाता 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 कि.मी. एवं राजमार्ग 64 कि.मी. दूर है। नालक्यी नदी 80 मीटर एवं गिर किर 180 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र – परिचयना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रकृत्य विरासत बोर्ड द्वारा घोषित किरिकली पीन्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र का घोषित क्षेत्रविधित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खानन कंपनी एवं खानन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,72,360 टन एवं गार्निंगेबल रिजर्व 8,18,448 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,320 वर्गमीटर है। खानन कंपनी केसीनार्डियस विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में कपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,920 घनमीटर है इस कपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (गार्निंगेबल/वालायूरी) क्षेत्र में पीलाकर क्यूआरैफन के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जेक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ऑपरिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में खदान स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि इस खदान को 5 वर्ष उपरोक्त लीज क्षेत्र से हटाया जाना प्रस्तावित है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का ठिकठकाव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	39,890.00	षष्ठम	37,860.00
द्वितीय	34,458.75	सप्तम	34,117.50
तृतीय	34,833.75	अष्टम	41,070.00
चतुर्थ	33,900.75	नवम	49,085.00
पंचम	59,253.75	दशम	48,807.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोस्वेल के माध्यम से की जाती है। इस मात्रा सेन्द्रल प्राथम्यक सौंटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. क्यूआरैफन कार्य – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा गैर गार्निंगेबल क्षेत्र में 1,200 मम क्यूआरैफन किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा गैर गार्निंगेबल क्षेत्र में 1,800 मम क्यूआरैफन किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है साथ ही प्रस्तावित कुली हेतु पीपी, सीलिंग, आध एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,320 वर्गमीटर है जिसमें से 785 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उत्खेख अनुमतिपत्र क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना सर्वांगतनीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। जल परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत निष्पानुसार विधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे दी गई दिशानिर्देश प्रोलेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 13(1) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार गार्डन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेफ्टी जॉन में कृषासेवन किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र से मासूमंडी नदी 80 मीटर दूर है। उक्त मासूमंडी नदी की ओर न्यूनतम 100 मीटर दूरी रखते हुए लीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खारि पत्र में किया गया है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिचालन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से खारि खारिद निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45.51	2%	0.903	Following activities at Govt. High School Village- Madhota	
			Plantation at school	0.903
			Total	0.903

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, गैर, कठिन, पीपल एवं जामुन) कृषासेवन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वन पीपल के लिए प्रति 8,000 रुपये, ट्री-बार्ड के लिए प्रति 50,000 रुपये, आवक के लिए प्रति 1,300 रुपये, मिथाई तथा रखा-रखाव आदि के लिए प्रति 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 69,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 28,160 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श चक्रांत सार्वजनिक से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय शर्तों के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यवेक्षण के संबंध में सू-स्वामी का सहमति पत्र (Notarized) प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज सीमा से निरस्तता वगैरे एवं अन्वय/राष्ट्रीय उद्योग की कार्यालय पूरी का उल्लेख करने हुए वनसम्पदाधिकारी से जारी अनामित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तथा वन माईनिंग क्षेत्र में 1,000 मम कुवारीयन हेतु पीछी का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्याप्त व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उल्लिखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन योजना (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
6. नोटरीय अतिरिक्त किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर वन कुवारीयन किये जाने एवं रोपित पीछी का वनसाईवत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिश्रित कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाधम्भी मिश्रित द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रदूषण आदर्श पुनर्स्थापन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/उद्योग से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई पर्यावरण का प्रकरण ललित नहीं है।

उपरोक्त सत्य पूर्ण जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जायगी।

परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए। सत्य की दृष्टिकोण से पर्यावरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर की पत्र लेख किया जाए।

2. मैसर्स स्टाइवस मिश्रित (बीइएनडी लाईन स्टीन माईनिंग प्री- की वजीर सिंह), ग्राम-बीइएनडी, तहसील-बदरन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1808)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 201888/2021, दिनांक 29/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/438781/2022,





दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आईएन ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित प्लांट पम्पर (पीएम एनिल) खदान है। खदान छान-चौड़ेपट्टी, तहसील-घाटन, जिला-दुर्ग निम्न खसत क्रमांक 342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 482/1, 482/2, 360/1 एवं 360/2, कुल क्षेत्रफल-4.78 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,24,348 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रमांक 124, दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकल्प 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रस्तावित स्टैम्पड टर्न ऑफ रिजर्व (टीओआर) को ईआईए/ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजर्वेशन इन्फार्मलेंट कमीशन अन्धर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंपनी 1(ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

उत्खनन परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ से ज्ञान दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 13/10/2023।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में बैठक में एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. छान पंचायत का अनायति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में छान पंचायत चौड़ेपट्टी का दिनांक 13/08/2021 का अनायति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (आ.उ), संचालनसम, मंत्रिकी तथा अनिकन, नवा रावपुर अटल नगर के ज्ञान क्र. 4482/खनि 02/नए.अनुमोदन/न.अ.08/2020(2) नवा रावपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख), जिला-दुर्ग के ज्ञान क्रमांक 886/खनि. सि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 23 खदानें, क्षेत्रफल 81.87 हेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख), जिला-दुर्ग के ज्ञान क्रमांक 886/खनि. सि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तालाब एवं नहर-वाली 200 मीटर की परिधि में स्थित है।

6. भूमि एवं दल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं दल.ओ.आई. गैरवर्ग स्टारएजस निगराना के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 342/खनिज/वा.प./2021 दुर्ग, दिनांक 08/08/2021 द्वारा दल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् दल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत संयुक्त-संचालक (खनिज प्रशासन), संसाधनसंरक्षण, भूमिहीन तथा खनिकर्मी, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्र. 4824/खनि-2/म.क्र. 40/2023 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "अंतिम पत्र की वैधता वृद्धि हेतु सार्वजनिक न्यायालय संचालक, भूमिहीन तथा खनिकर्मी के समक्ष यह पुनर्विचार किया गया है।" होता बताया गया है। खनिजों का मत है कि दल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि की प्रति प्रस्ताव कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अन्यायिता प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदलक्षिकारी, दुर्ग वनसम्पदल, जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक/दल.ओ.आई./2020/4824 दुर्ग, दिनांक 08/12/2020 से जारी अन्यायिता प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-पोखरेच्छी 2 कि.मी., सड़क ग्राम-पोखरेच्छी 12 कि.मी. एवं अस्पताल सेरुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।
10. पर्यावरणमित्र/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जलिकुली पीन्यूटेज एरिया, पर्यावरणमित्र संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जिथोलीसिकल सिल्वर 22,70,500 टन, गार्डेनेबल सिल्वर 14,85,300 टन एवं सिकवरेबल सिल्वर 14,20,535 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,400 वर्गमीटर है। खनन काल्ट सीमा मेसेन्सईन्ड विधि से चलायन किया जाएगा। चलायन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में सफाई मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर, गांज 8,680 घनमीटर है। खोद बर्तन की मोटाई 0.85 मीटर, गांज 44,398 घनमीटर है। क्षेत्र की ढलवां 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र से डिडिम एवं क्वार्ट्ज किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित चलायन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित चलायन (टन)
प्रथम	1,78,700
द्वितीय	3,20,600
तृतीय	4,21,588
चतुर्थ	4,99,348

12. जल आर्मुति – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आर्मुति बोरोल के माध्यम से की जायेगी। इस मात्रा मेंटूल प्रारम्भ वीटर क्वॉरिटी से जारी अनुभूति इमान तक इस्तुत किया गया है।
13. कृषारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1.480 मग (नीम, आम, कर्जल एवं जामुन आदि) कृषारोपण किया जाएगा। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की नीलर कृषारोपण के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	इमान (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
कृषारोपण (30 प्रतिशत लीज क्षेत्र) हेतु खर्च	1,12,480	11,248	11,248	11,248	11,248
सिंचित हेतु खर्च	2,30,300	—	—	—	—
साथ हेतु खर्च	11,100	1,110	1,110	1,110	1,110
सिंचाई एवं पत्र-पत्राव हेतु खर्च	2,76,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000
कुल खर्च = 14,53,000	8,29,800	2,38,358	2,38,358	2,38,358	2,38,358

14. घाटान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में चरखाना – लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में चरखाना कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जांचकारी – निम्नलिखित कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतरगत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विवेचन एवं निम्नलिखित हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

ii. निम्नलिखित परिसरों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.18	43.18	60
PM ₁₀	43.81	86.45	100
SO ₂	9.13	14.48	60
NO ₂	10.05	18.13	80

- iii. परिवोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दलिये गये डेटल अनुसार क्लीवइजल, नाइटेडल, सल्फर, कार्बोनेटल, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य नैसर्गिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	45.11	60.21	75
Night L _{eq}	31.04	49.11	70

जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पीसीयू की गणना— जारी बाहरी / राष्ट्रीयस्तरीय डीपी बाहरी की समक्षित कर्ता दूरी ट्रेकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार बांभन में 1,080 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/ली अनुपात (MPC ratio) 0.18 है। प्रस्तावित परिवर्धना एवम् 210 पीसीयू की वृद्धि होगी। उपरोक्त कुल 1,290 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/ली अनुपात (MPC ratio) 0.21 होगी। पी-मॉडरेट/ग्रेडकॉन्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लंबाई करीब अर्धशत निर्धारित मानक (Excellent) से नीचे है।
- vi. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा पौधा (Flora) एवं जीव (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
16. लोक सुनवाई दिनांक 17/04/2023, अमाना 1200 बजे, स्थान— राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला, ग्राम—सोडरिन्ही, तहसील—पाटन, जिला—बुंग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य सहित, अतीतगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रामपुर अटल नगर, जिला—रामपुर के पत्र दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- a. चट्टी से ही गांव में 25 खदान है, जिसका प्रभाव सामग्री लेल रहे हैं, खदान नहीं खोलना चाहिए, यह स्कूल से सामने है। खदान से गांव को काफी नुकसान हो रहा है।
- b. खदानों के उत्खनन से धूल-मिट्टी उड़ता है, खदान संभालक द्वारा पेड़ लगाने एवं जल सिंचनव अदि करने का बाधा करते है, लेकिन कोई जल सिंचनव नहीं करते है।
- c. खदानों में अर्धशत उत्खनन से गहराई तक उत्खनन हो रहा है, जिससे पैमजल स्तर गिरता जा रहा है, परिणाम में इनको पैमजल नहीं मिल पायेगा।
- d. खदान से होने वाले बसमिटर से गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं, चट्टी में पाथर गिरता है तथा खदान के उत्खन से खेत में अनाज पैदा नहीं हो पा रहा है। जिसका खेत बेघने के लिए बाधक किया जा रहा है।
- e. आवाज बन्दा हो रहा है, जिसमें नहारा भी नहीं जा सकता। खदान से प्रदूषण की समस्या होती है, सड़कों पर पानी भी नहीं आता जाता।

लोक सुनवाई के दौरान प्रदाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्धना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है—

- a. खदान गांव से 1 कि.मी. दूरी पर है, जिससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। इस खदान से संभवतः हेतु गांव के लोगों को ही अवधिगतता दी जाएगी।
- b. इमारत खदान गांव से काफी दूरी पर है, जिससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। खदान से धूल उभर नहीं आवे इसके लिए पानी का सिंचनव एवं अधिक-अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा।
- c. मशीनिंग प्लान अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खनन की गहराई 5-जल स्तर तक नहीं पहुंचेगा।

14. अनुपवी कंट्रिक्टर की निर्याती में ही कंट्रोल प्रमाँनन कलषा ऒररुष। ऒरररर ररर रर कलरी कल कलररर रर प्रकर कल कलई नुकरररन नररर ररर।
15. खररन ररररर रर कलरी रूर रर, रर इरररर ररररर कल कलई नुकरररन नररर ररर। खररन रर रररररन कल कल कलरी रररर रूररर रूररररन कलररर इरर ररर रर प्रकरन कल कलररर रर रररी कलररररर कलररी रररररर रर कलररर ररर रररर कल खररन रर इरर कल कलररररर रररर।

16. कलररर इररु कलरन इररररररररररर कलररररररर रररर – ररररररररर इररररररर इररर ररर कल ऒररररररर खररन कल रररररर कलरी रूरर कलरररर रर रूरर 24 खररन ऒररी रर। ऒरर कलररर रर रररररर खररनरर इररर कलरन इररररररररररर कलररररररर ररररररर ररररररर इररर ररर। कलरन इररररररररररर कलररररररर ररररर कल कलरु नलरन कलरर इररररररर रर।

कलररर	इररर (ररररर)	दलरररर (ररररर)	रूरररर (ररररर)	कलरुर् (ररररर)	रररर (ररररर)
इरररर नलरररर इररु ररररररर कल कलरन ररररर/रररुष रररर रर ररररर रूरर ररररररर कल नलररररर इररु ररर कलररररर, रररुष रररर कल रूरर ररररररर 10 कल नल।	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
10000 नलरर लररर रररुष रररर कल कलरी रररर (3,333 ररर) रूररररररर (ररर, ऒरर, कलररर रर ररररर ऒररर) इररु	84,82,000	8,75,798	8,75,798	8,75,798	8,75,798
रररर/रररुष रररर कल ररर-रररर इररु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
इररर ररररररर कलररर रररर ररररररर ररर ररररररर ररर ऒररर	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कलर रररर = 1,15,35,800	84,82,000	12,83,798	12,83,798	12,83,798	12,83,798

कलरन इररररररररररर कलररररररर ररररररररर इररररररर कल ररररररररर नलररररररर रररर।

कलररर	इररर (ररररर)	दलरररर (ररररर)	रूरररर (ररररर)	कलरुर् (ररररर)	रररर (ररररर)
इरररर नलरररर इररु ररररररर कल कलरन ररररर/रररुष रररर रर ररररर रूरर ररररररर कल नलररररर इररु ररर कलररररर, रररुष रररर कल रूरर ररररररर 842 नलरर, रररर/रररुष रररर कल ररर-रररर इररु ररर इररर ररररररर कलररर ररररररर	48,812	48,812	48,812	48,812	48,812
842 नलरर रररर कल कलरी रररर (280 ररर) रूररररररर(ररर, ऒरर ररर कलररर ऒररर) इररु	3,44,343	87,194	87,194	87,194	87,194
कलर रररर = 8,81,378	3,83,854	1,48,808	1,48,808	1,48,808	1,48,808

19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी सी.ई.आर. अधिसूचना, 2006 (एक संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एन.सी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में खाने वाले खदानों की उपखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में खाने वाले क्षेत्र समस्त खदानों को शामिल करके हूवे, कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कच्चाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिटी तथा खनिजन, इटावली मयन, महा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (इटावागढ़) के तार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. सीईआर पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माफ़ विस्तार से कार्य उपरोक्त विन्यानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
135	2%	2.70	Following activities at Village- Gondpendri	
			Pantra Van Nispan	16.819
			Total	16.819

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गोडपेन्ड्री पर (आम, नीम, कदम, पीपल, अमलताश, आंवला एवं जामुन) कृत्रिमता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नव पौधों के लिए प्रति 70,000 रुपये, फेंसिंग के लिए प्रति 2,10,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 7,500 रुपये, जीवन जिन उपकरण के लिए प्रति 1,00,000 रुपये, सिंचाई तथा राब-रखाव आदि के लिए प्रति 2,91,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 6,84,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 6,87,400 रुपये हेतु प्रावधान करव का निरक्षण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गोडपेन्ड्री के सहमति उपरोक्त कक्षाधीन स्थान (खसरा क्रमांक 718/1, क्षेत्रफल 0.43 हेक्टेयर के कुल भाग में) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में इंग्रेजित करके हूवे जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
22. कलक्टर में खाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्थात् एवं वेलावर सहित नक्शे में दर्शाते हूवे पुनरीक्षित बन प्रस्तुत किया गया है।
23. सीएम क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर, मात्र 6,880 घनमीटर है, जिसमें से 4,320 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में

कैलाशकर कुशासेनन के लिए उपयोग किया जाएगा तथा बीच 2,340 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को समीपस्थ खडों की भूमि (खसरा क्रमांक 382/2, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) क्षेत्र में संरक्षित कर संरक्षित रखा जाएगा। और खडों की मोटाई 0.85 मीटर तथा 44,398 घनमीटर है, जिसे समीपस्थ खडों की भूमि (खसरा क्रमांक 382/2, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) क्षेत्र में संरक्षित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपरी मिट्टी एवं और खडों का नकारण हेतु कम की मोटाई 3 मीटर तथा खडों 28 किमी से अधिक न करने हुए ऊपरी मिट्टी एवं और खडों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आचार का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा लोक सुरक्षाई के दौरान दिए गए समस्त आवश्यकता पूर्ण किए जाएंगे।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीएम इन्फ्रानोमेटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो भी शक्ति तय की जाएगी उस शक्ति को पर्यावरण को हित में कार्य करने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की बाहरी तरफ 7.5 मीटर की बांड़ड़ी छोड़ी गई है, उस पर पेंटिंग कराकर कुशासेनन का कार्य करने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में बाहरी ओर 7.5 मीटर की छट्टी एवं सीएम इन्फ्रानोमेटल मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कुशासेनन तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी डिपार्टमेंट पोर्टोफास सहित अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुसराधोन न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. खनिजों का कार्य सी.पी.एन.एस. द्वारा अधिकृत डिप्लोमेटिक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य कुशासेनन किये जाने एवं संरक्षित पौधों का सनवाईवल नेट (Survival net) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरणिक इस्ट एलाजमेंट होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विद्यमान की आवश्यक किये जाने बाबत समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कानूनी नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री निश्चय द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित कुओं की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ ही जल कुओं की आवश्यकता पड़ने पर ही कलाई स्थल प्रधिकारी से अनुमति उपयुक्त किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये कार्य का पालन करने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन प्रस्ताव से अधिक उत्खनन का कार्य नहीं करने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।
39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा सी.ई.आर. से अंतर्गत किये जाने वाले कुंआरों का 5 वर्ष तक रख-रखाव किया जायेगा।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्यूरी (ई.सी.) भारत के राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय राष्ट्रीय वीन ट्रीब्यूनल (एन.जी.टी.) और किसी भी अन्य न्यायालय के आवेदन/निर्णय के अधिन में, सामान्य काल की तारी को लागू हो सकती है उन सभी कार्य का पालन करने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विवादास्पद निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि MDEF&CC की O.M No 2-13813/57/2004-M.A.MD, दिनांक 29/10/2004 द्वारा दिए गए समय तयारों का पालन करने, जिसके अनुसार बसियों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिनमें बसियां और गांव शामिल हैं, खदान पट्टा क्षेत्रों या बसियों का हिस्सा पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए है।
43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनन गट्टे को स्वामित्व में किसी भी बदलाव के लिए MDEF&CCSEIAA को सूचित किया जायेगा, यदि स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है या खनन पट्टा हस्तांतरित होता है। परियोजना प्रस्तावक को समय-समय पर संबंधित ईआईए

मिति, 2023 के पैरा 11 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय संदूरी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करना होगा।

44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया है जैसे ही सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट बनकर आती उसे जमा कर दिया जाएगा।
45. आवंटित क्षेत्र में विद्युत दूरी की प्रवर्तियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त दूरी की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत तय्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एल.ओ.आई. की शर्तों वृद्धि की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का महत्त्व हेतु उभय की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोम 28 डिग्री से अधिक न करती दूरे ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कश्मिरा रोल्ड साईन (सर्वेय, ग्राम पंचायत कश्मिरा, ग्राम-करीहा, तहसील-बादना, जिला-उत्तर बल्लर कॉलेज (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2023) ऑनसाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 440201/2023, दिनांक 10/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनसाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित प्लॉट (सील सन्निव) खदान है। खदान ग्राम-करीहा, तहसील-बादना, जिला-उत्तर बल्लर कॉलेज स्थित पार्ले ऑफ खानरा क्रमांक 735, कुल क्षेत्रफल-4.89 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सख्तनम महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उपखण्ड क्रमांक-78,582 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.आई.सी. उत्तीसगढ़ की छापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(ख) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अनिष्ट सुझाव मंडली, कार्यय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. दूर में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को दूर में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उपखण्ड की संख्या में ग्राम पंचायत कश्मिरा का दिनांक 14/02/2023 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. विन्हाडिता/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज साखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाडिता/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - रियर बेंच सीट मईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो प्लान-संचालक (ख.प्र.) जिला-उत्तर बल्लभ कांठेर के द्वारा क्रमांक 1273/खनिज/उत्तर.नो.अनु./रेग/2023-24 कार्यालय, दिनांक 23/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-उत्तर बल्लभ कांठेर के द्वारा क्रमांक 1281/खनिज/ख.लि./रेग/2023 कांठेर, दिनांक 23/08/2023 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य पेट खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-उत्तर बल्लभ कांठेर के द्वारा क्रमांक 1280/खनिज/ख.लि./रेग/2023 कांठेर, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.सी.आई. का विवरण - एल.सी.आई. सत्यं, राम संघात करिहा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-उत्तर बल्लभ कांठेर के द्वारा क्रमांक 1209/खनिज/रेग/2023 कांठेर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 12 माह तक की अवधि हेतु वैध है।

उत्खनन पट्टा नाम, खनिज सखन विभाग, मंडल, महानदी बल्लभ, महा राजपुर अटल नगर द्वारा उत्खनन पट्टा खनिज सखाल से (उत्खनन एवं खदान) नियम, 2018 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 08/05/2023 से जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कार्यालय-सखाल से के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कार्यालय के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति उत्खनन पट्टा विवेक के संशोधन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मन्त्रालय/कांठेर वन मन्त्राल, जिला-उत्तर बल्लभ कांठेर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./2023/3530 कांठेर, दिनांक 10/04/2023 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 08 कि.मी दूर है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-करिहा 1.1 कि.मी., महुल ग्राम-करिहा 1.5 कि.मी. एवं अंगराला घराना 2.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19.80 कि.मी. दूर है। नहर 3.8 कि.मी., एनोकाट 1.15 कि.मी., वातावरण 1.1 कि.मी. एवं पुल 370 मीटर दूर पर है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 282 मीटर, न्यूनतम 270 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 513 मीटर, न्यूनतम 509 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम

35 मीटर बर्साई गई है। खदान की नदी तट की किनारे से दूरी अधिकतम 47 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की बोटवाई – आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गहराई – 4.25 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर बर्साई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा – 78,562 घनमीटर है। रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत तट की बोटवाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर वसूली वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध औसत बोटवाई 4.25 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पर्याप्तता भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत बहाव को रोकथाम– रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खदान के चारों तरफ 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के सिंक बिन्दुओं पर दिनांक 17/08/2023 को रेत बहाव के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रामाणिकता उन्नीस घोटीयास सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय समित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उन्नीस निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.53	2%	0.58	Following activities at Village- Kariba	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

15. मी.ई.आर. के अंतर्गत तालब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 45 नग किन्हीं से 10 नग वृक्ष पूर्ण से तालब के चारों ओर अवस्थित हैं। शेष 30 नग पौधों के लिए प्रति 3,000 रुपये, बॉसिंग के लिए प्रति 4,500 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,500 रुपये, सिंचाई तथा मक-मखाव आदि के लिए प्रति 18,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 25,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 50,000 रुपये हेतु घटकवार कार्य का विकास प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम वंचाघट करिहा के सहनीस उन्नीस प्यादींग स्थान (खसरा क्रमांक 980, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. वृक्षारोपण कार्य – नदी के तट पर हासवीय भूमि (खसरा क्रमांक 437, कुल एका 0.31 हेक्टेयर) में 1,000 नग वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है—

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रारम्भ निषेधन हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के निषेधन हेतु जल सिंचिकाएँ		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट (सार्वजनिक भूमि) में (1,000 वर्ग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु सस्ति	1,00,000	—	—	—	—
	कंसिग्न हेतु सस्ति	1,50,000	—	—	—	—
	खाद सस्ति	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	किचनार्ड एवं पत्र-पत्राचार आदि हेतु सस्ति	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल सस्ति = 15,05,000		5,05,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

- परिषदेजना से जिन-जिन स्थलों से प्युब्लिक अउट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर निषेधित जल सिंचिकाएँ की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं चट्टीय मार्ग में सड़क वृक्षारोपण किये जाने एवं उचित यौती का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- कलीकटाड आदर्श पुनर्वास यौती के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परिषदेजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परिषदेजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किन्हीं भी न्यायालय में ललित नहीं है।
- परिषदेजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, परिवहन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम क्र.आ. 80-अ(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को *Common Cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014* में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।





24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा इन्फोसिस एन्ड नॉनितॉलिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंसर 2020 के प्रावधानों का पालनकिया जायेगा तथा अनुसूचित राजस्व क्षेत्रों में विद् गाईडलाईन्स रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही राजस्व क्षेत्रों में दिया जायेगा।
26. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खान के सीटिंग कन्टेनेबल सीट गाईडलाईन्स 2018 एवं इन्फोसिस एन्ड नॉनितॉलिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंसर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
27. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं उम्मीदी पालन प्रतिवेदन पर्यावरण क्लॉसलर में जमा करने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन जमा कर, डिवायटिंग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आनुवंशिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आनुवंशिक स्थल से मछुल 1.5 कि.मी., अस्पताल 3.15 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 2.1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि ग्राम, गौण खनिज अधिनियम 2015 में बर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः मछुल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खान कार्य से मछुल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निवारण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे—
1. खदान क्षेत्र से आस-पास नदी लट एवं प्लुव मार्ग में शर्तों और समय सुचारुतापूर्वक किया जायेगा, जिससे मछुल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 2. धूल(डस्ट) के निवारण के लिए टैंकर के द्वारा पानी को छिड़काव किया जायेगा, जिससे मछुल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 3. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन लायनेसिन से उक कर किया जायेगा, जिससे रास्ते में राहन से खनिज न गिरे।
 4. हमारे द्वारा राहनों का परिवहन मछुल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा, जिससे मछुल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 5. हमारे द्वारा मछुल एवं आबादी क्षेत्र में डीम्ब लगाकर स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा।
 6. हमारे द्वारा ग्राम में स्थित लालब में परिवोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. के तहत खान के कार्य और आम के विभिन्न उद्योगों, जामुन

एवं सड़क आदि के बीच का रोपण एवं सुखा हेतु प्रसिद्ध तथा 5 वर्ष तक सम्पूर्ण देखावल किया जायेगा।

20. सड़कों का उचित रख-रखाव एवं धूल आदि से सुखा हेतु निर्धारित जल सिंचकाल किया जायेगा, रोड, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

21. परिवहन प्रस्तावक द्वारा वर्षीय ऋतु में रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर रेत माइनिंग क्षेत्र में सीमा स्पष्ट लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के साथ में सीमेंट के खम्भे पड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र गदी में स्पष्ट दृष्टिमान हो सके।

23. सी.ई.आर. कार्य एवं गदी तट में कृत्रिमता कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु डि-प्लीग समिति (डिप्लोमाईटर/प्रतिनिधि, राम संकायत के परामर्शकरी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंचयन एवं जल संयंत्र संयंत्र के परामर्शकरी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं गदी तट में कृत्रिमता कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित डि-प्लीग समिति से सम्बन्धित कराया जाना आवश्यक है।

24. रेत उत्खनन वैशुजल विधि से एवं भरई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र गरी बहन की श्रेणी के है। अतः भरई का कार्य वैशुजल विधि से ही कराई जाये। भारी बहनों के गदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

25. परिवहन प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालकेंडी आँकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गहनटी बड़ी गदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अर्धवित्त खदान (राम-कटिवा) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परिवहन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्ड अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आँकड़े, रेत उत्खनन का गदी, गदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा गदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसलाईन डाटा —

a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर गदी में रेत की सतह की स्टावी (Levels) का सर्वे कर, उससे आँकड़े तालकाल एन.ई.आई.ए.ए., जलसंचयन को प्रस्तुत किये जायें।

b. पोस्ट-मनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के आसटीम एवं

खानसूटिंग में 100 मीटर तक तथा खान जोज के बाहर / नदी तट (टोपी जॉय) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के तल (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विज्ञ बिन्दुओं पर किया जाएगा।

iii. इसी प्रकार रेत खान उपरोक्त खानसूटिंग के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह / जून के अंतिम सप्ताह) इसी विज्ञ बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विज्ञ बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य अगामी 6 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा। पीस्ट-खानसूटिंग के आंकड़े दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-खानसूटिंग के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अर्न्तवर्ती रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छातीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. समिति द्वारा विद्यमान विभिन्न उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से मेमर्स करिब 4000 मीटर (सर्वेय, घास संवर्धन करिब), फर्टी जॉय खसरा क्रमांक 739, घास-करिब, लहसील-कावाण, जिला-उत्तर बाघर जॉय, कुल लीज क्षेत्रफल 4.89 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 44,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय सीक्युरिटी खानसूटिंग के निष्पादन की तारीख से पांच वर्षों तक की अवधि हेतु प्रॉविजेंट-01 में निर्धारित तर्कों के अंतर्गत विवेक जमाने की अनुमति की गई। रेत की सुराई भूमिगत द्वारा (Manually) की जाएगी। गिबर बेड (Giber Bed) में पानी जमाने का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत सुराई गड्ढे (Excavation pits) में लॉडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एस.ई.आई.ए.ए.) छातीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

6. मेमर्स जोखारी आर्बिनेरी स्टोन क्वॉरी (डी.- बी अण्ड सुनार सोनी), घास-जोखारी, लहसील-कुन्कुरी, जिला-जसपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2024)

ऑनसाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 438726/2023, दिनांक 11/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अण्ड सुनार विस्तार का प्रस्ताव है। यह पूर्व से संघटित संचालन पथ पर (सीन खनिज) खदान है। खदान घास-जोखारी, लहसील-कुन्कुरी, जिला-जसपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-85,000.25 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) सविधि की 422वीं बैठक दिनांक 13/10/2022

अनुमोदन हेतु श्री अमर कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सविधि द्वारा गली, प्रस्तुत जानकारी का अनावरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में सखारन खदान खदान खदान क्रमांक 401/1, कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर, क्षमता-10,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रतिकल्प, जिला-जयपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई।
- परिचोक्षण प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अतिक्रमण द्वारा वन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-जयपुर के द्वारा क्रमांक 308/अग्नि. शा./2021 जयपुर दिनांक 07/10/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उल्लंघन (वर्गमीटर)	वर्ष	उल्लंघन (वर्गमीटर)
1998	1,409	2010	निरंक
1999	250	2011	42
2000	129	2012	निरंक
2001		2013	42
2002	980	2014	188
2003		2015	198
2004	405	2016	176
2005	100	2017	109
2006	निरंक	2018	140
2007	60	2019	49
2008	निरंक	2020	56
2009	निरंक	2021	20

सविधि का मत है कि वर्ष 2021 के उपरोक्त किये गये उल्लंघन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी अग्निज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- घास पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - सखारन के संबंध में घास पंचायत जोरवारी का दिनांक 23/01/1997 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- सखारन योजना - मंडिकगढ़ की प्लान एरिंग विद्युत शक्ति कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (उ.स.) जिला-रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 488/अग्नि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 14/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की सविधि में निष्ठा खदान - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-जयपुर के द्वारा क्रमांक 385/अग्नि.शा./2022 जयपुर, दिनांक 28/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 5, क्षेत्रफल 18,808 है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-जयपुर के आसन क्रमांक 384/खमि.सा./2022 जयपुर, दिनांक 29/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अस्तुता प्राप्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेललाइन, नहर, जलप्रपात, मंदिर, मस्जिद, मुरुदावा, मच्छट, सार्वजनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं सीमा का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में सीमा की स्थितिज सिद्ध खूबेरा के नाम पर की। सीमा क्षेत्र 30 वर्षों अर्थात दिनांक 07/07/1997 से 08/07/2027 तक की अवधि हेतु है। संपन्नता कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-जयपुर के आसन क्रमांक 389/खमि.सा./2021 जयपुर, दिनांक 04/01/2021 द्वारा सीमा का हस्तांतरण श्री अमर कुमार शर्मा के नाम पर किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि सनीमल्य अन्य आवेदक के वसत क्रमांक 247/1 कुल एका 4 हेक्टेयर की कार्यालय बलमण्डलधिकारी, बलमण्डल, जयपुर के आसन क्रमांक/मा.वि./2011/2007, दिनांक 28/08/2011 से जारी अनुमति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की कार्यालय पूर्ण का परीक्षण करते हुए बलमण्डलधिकारी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घास-जोखरी 1.5 कि.मी., मज्जु घास-जोखरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल कुम्हुरी 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 266 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। बिलजोरा नाला 1.8 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, जलप्रपात, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खदान संयंत्र एवं खदान का विवरण - डिपॉजिटिवल रिजर्व 23,38,710 टन, माइनेबल रिजर्व 8,00,210 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 8,70,199 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,410 वर्गमीटर है। खदान काल में कुशल विधि से खदान किया जाता है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22.5 मीटर है। सीमा क्षेत्र में खाने मिट्टी नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संघटित आयु 6 वर्ष है। सीमा क्षेत्र में खदान स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल मॉस्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकृत किया जाता है। वर्षा प्रस्तावित खदान का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खदान (टन)
प्रथम	1,00,000

द्वितीय	1,00,035
तृतीय	1,00,035
चतुर्थ	1,00,035
पंचम	1,00,035
षष्ठम	1,00,035

12. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति स्वतंत्र एवं संबंधित बाधा से अनपेक्षित प्रमाण तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. कुशाबंधन कार्य – सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 मम कुशाबंधन किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. माननीय एन.डी.टी., डिप्टी सचिव, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत वारंट सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिष्कृत एन.डी.टी. नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (अग्निज साक्षात्), जिला-जलपुर के द्वारा अर्थात् 585/अग्नि. सा./2022 जलपुर, दिनांक 29/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.828 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (वाम-जोकरों) का क्षेत्र 4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (वाम-जोकरों) को मिलाकर कुल क्षेत्र 20.828 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का उत्खनन निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दहली अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित सौप्टवेर डार्क ऑफ रिपरीस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का सौप्टवेर टीओआर (लोक सुपवाइ सर्टिफ) नीन डोल मॉनिग प्रोजेक्ट हेतु निम्न उल्लिखित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit production details from 01/01/2022 to till date from the mining department.
- vi. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- vii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit details of pollution control amangement in crusher.
- ix. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall

maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) अंतीमपत्र को तदनुसार सुधारा किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर एवं कार्यालय वनस्पतारधिकारी, जिला-बिलासपुर को पत्र भेजा किया जाए।

5. मैसर्स कनहीकाशर रोपड गार्डन (सालब, घाम पंचायत कनहीकाशर), घाम-कनहीकाशर, तड़वील-बेलगढ़ना, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नसी अर्थांक 2825)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नाम - एलवाईर/ सीजी/ एनआईएन/ 440259/2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (सील खनिज) खदान है। खदान घाम-कनहीकाशर, तड़वील-बेलगढ़ना, जिला-बिलासपुर निम्न प्लॉट अंक अर्थांक 204/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन अर्था नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, अंतीमपत्र को ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु की प्रोसेसिंग, सार्वभूमि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को प्लॉट में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में घाम पंचायत कनहीकाशर का दिनांक 28/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सख्त से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - रेत रेत रोपड गार्डन पवन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संबंधित (स.प्रसा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन अर्थांक 1159/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन अर्थांक 1160/खनि/रेत/अनाप पत्र/2023

बिलासपुर, दिनांक 24/07/2023 को अनुमान आवेदित खदान में 400 मीटर की दूरी पर अन्य रेत खदानों की संख्या निम्न है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के प्रमाण क्रमांक 1180/खनि./रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुफाखाना, मरघट एवं एनोकर आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। रेत 140 मीटर की दूरी पर स्थित है।

7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कल्पेय, ग्राम पंचायत कशीरघाट के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के प्रमाण क्रमांक 582/ख.नि.01/न.र. /2023 बिलासपुर, दिनांक 29/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक है।

प्रखंडासमूह शासन, खनिज शासन विभाग, मंडलघ, सतलुदी मध्य, नरक रामपुर अटल नगर द्वारा प्रखंडासमूह गौन खनिज सहायक रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 08/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टा की कालावधि-सहायक रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टा विस्तार के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसमूहलाहिकारी, बिलासपुर वनसमूह, जिला-बिलासपुर के प्रमाण क्रमांक/तक./2022 बिलासपुर, दिनांक 08/06/2023 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 4 कि.मी. दूर है।

9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कशीरघाट 250 मीटर, स्कूल राम-बेलगहन 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल कोटा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.4 कि.मी. दूर है। सामीन काशी सड़क 140 मीटर, नहर 380 मीटर, लाइन 480 मीटर, रोड पुल 515 मीटर, नाला 1.35 कि.मी. एनोकर 3 कि.मी. एवं बांध 8 कि.मी. दूर है।

11. खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 82 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 515 मीटर, न्यूनतम 780 मीटर एवं खान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 53 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। खदान के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3.13 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 48,000





कमतीकर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खड्ड पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खड्ड की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित खड्ड पर 4 गड़दे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.125 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचायत प्रस्तुत किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत खड्ड की संख्या – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खड्ड में 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 12/08/2023 की रेत खड्ड के वर्तमान संख्या (Lands) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण करके खोदोद्योग सहीत जानकारी/वस्तुसूच प्रस्तुत किये गये है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की सलाह विचार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.78	2%	0.32	Following activities at, Village-Pandra	
			Plantation at Village Pond	0.60
			Total	0.60

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत लालच की घाटी और कुआरीयम (ग्राम, कटवाल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग मिसमें से 10 नग कुल घाटी से लालच की घाटी और अवस्थित है। रेत 30 नग घाटी के लिए रशि 3,000 रुपये, कलियम के लिए रशि 4,500 रुपये, खड्ड के लिए रशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा पक्का-रस्ता आदि के लिए रशि 13,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 22,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 38,000 रुपये हेतु बटकरात व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पंडरा के सहमति उपरोक्त वधायोग खान (खसरा क्रमांक 68, क्षेत्रफल 0.729 हेक्टेयर) के सहा में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. कुआरीयम कार्य – नदी के तट पर ग्राम पंचायत कलसीकदार के सहमति उपरोक्त सार्वजनिक भूमि (खसरा क्रमांक 48/1/1, कुल रकबा 44.8 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर) में 800 नग कुआरीयम करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़की/पट्टा मार्ग से उत्पन्न हुए उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

विशेषता						
नदी तट (शासकीय भूमि) में (800 मग) व्यापार क्षेत्र	व्यापार क्षेत्र वर्ग	80,000	—	—	—	—
	पेय क्षेत्र वर्ग	74,500	—	—	—	—
	बाध क्षेत्र वर्ग	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	निर्वाह एवं रक्षा-रक्षण क्षेत्र वर्ग	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल वर्ग = 13,09,500		3,89,500	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

17. परियोजना के जिन-जिन स्तरों से पर्यावरण अन्तःफलन होगा, उन स्तरों पर निर्धारित जल संचयन की व्यवस्था किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. सख्त पत्र के अंतर्गत नदी तट एवं पट्टा वर्ग में सख्त व्यापार क्षेत्र किये जाने एवं पेय क्षेत्रों पर सख्त नियंत्रण रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. पर्यावरण अन्तःफलन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस सख्त पत्र से संबंधित कोई न्यायालयीय प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. भारतीय न्यायिक बोर्ड द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. भारतीय न्यायिक बोर्ड द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यावरण सौकरिता में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं सख्त पत्र प्रस्तुत करने पर्यावरण अन्तःफलन में जमा करने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा इन्वोल्वमेंट एम्ब गैरिटरिंग माईकलाईन्स और सैम्ब 2020 के प्राधानी का पालन किया जाएगा तथा अनुबंधित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
27. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खान के वीथन सस्टेनेबल रीड माईनिंग माईकलाईन्स 2018 एवं इन्वोल्वमेंट एम्ब गैरिटरिंग माईकलाईन्स और सैम्ब 2020 के प्राधानी का पालन किया जाएगा।
28. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यापूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, क्वोटेशन फॉलोप्रास सहित जानकारी पर्याप्तता सौकृति हेतु जमा किये जाने वाले आवधिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवधिक स्कूल से स्कूल 1.1 कि.मी, अस्पताल 13 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 250 मीटर की दूरी पर है जो कि स.ग. गौन खनिज अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खान कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-
- खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टण मार्ग में खाई और संधन सुधारकन किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - भूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी को छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तालघोसिन से ट्रक कर किया जाएगा, जिससे रास्ते में गड़हन से खनिज न गिरे।
 - हमारे द्वारा खानों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीमग जगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।
 - हमारे द्वारा खान में स्थित तालाब में परिवोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. के तहत तालाब के बांधे और आम के विभिन्न प्रजातियाँ, जलजुन एवं कटाहल आदि के पौधे का रोपण एवं सुखा हेतु पंपिंग तथा 5 वर्ष तक सम्पूर्ण देखभाल किया जाएगा।
 - खानों का स्थित रक-रकब एवं भूल आदि से सुखा हेतु निर्धारित जल छिड़काव किया जाएगा, रीड, आबादी, स्कूल आदि पर भूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020 में गत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर वाइनिंग क्षेत्र में सीमा सार्थक लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के क्लॉस में लीज क्षेत्र को खाली रखना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नहीं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
22. सीईआर कार्य एवं नदी लट में पुनर्स्थापना कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-प्लीग समिति (डोमस्टिक/प्रतिनिधि, ग्राम संस्थाओं के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी लट में पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करने को उपरोक्त गठित कि-प्लीग समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
23. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भरतई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे संत्र भारी वाहन की सहायता से है। अतः भरतई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों को नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संशोधी अध्ययन कार्य एवं एलांशोधी आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया गया है। अतः नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सत्यापित 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विचार उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-कनहीकभार) का गहरा 4 डेक्रेटर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिखित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 डेक्रेटर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्ड अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आये, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्वधि, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की गरी जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसलाईन आटा -
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित निम्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सतरी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तकाल एम.ई.आर.ए.ए., प्रतीकण्ड को प्रस्तुत करने जाये।
 2. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही निम्न बिन्दुओं में वाइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी लट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित निम्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 3. इन्ही प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (गई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही निम्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलिंग (Levels) का मापन किया जायेगा।

iv. वेत सारह के पूर्व विद्यमान छिद्र विन्दुओं पर वेत सारह के लेवलस (Levels) को मापन का कार्य अगामी 6 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। वेत-मानसून के आंकड़ों विषयक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़ों अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एसई.आई.ए.ए. प्रतीसागद को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेसर्स कच्छीकच्छार सेन्स माईन (सत्यम, घाम पंचायत कच्छीकच्छार), पट्टे ऑफ खसत क्रमांक 204/1, घाम-कच्छीकच्छार, तहसील-बेलगढ़ना, जिला-मिलनापुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही वेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय सीमाएँ, खनन पट्टे के विचारान की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु सर्टिफिकेट-82 में संशोधन जारी के अधीन दिव्य जाने की अनुमति की गई। वेत की खुदाई अधिकांश द्वारा (Manually) की जाएगी। मिन्न बेड (Miner Bed) में भारी बालू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित वेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लैबिंग प्लाईट तक वेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेन्स माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेन्स माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आकलन प्रतिकलन (एसई.आई.ए.ए.) प्रतीसागद को उपरोक्तानुसार सुधित किया जाए।

8. मेसर्स कपिल माईनिंग लिमिटेड लिमिटेड (भूत माईनिंग स्टोन क्वीरी, डाक्टोर-बी कपिल अधवास), घाम-भूत, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर (सविद्यालय का पार्सी क्रमांक 2828)

ऑनलाइन आवेदन - पर्यावरण नामा - एसआईए/ सीडी/ एसआईएन/ 438847 / 2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित भूत परख (सीन खनिज) खदान है। घाम-भूत, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर स्थित खसत क्रमांक 418/5, 424/8, 425/1, 425/2, 487/2, 487/3, 487/5, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4 एवं 489/5, कुल क्षेत्रफल-4.714 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-85,880 टन प्रतिवर्ष है।

माता सहायक के पर्यावरण, वन एवं जलवायु संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस में भेजे गये दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by CEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by CEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time

period of one year from the date of issue of this OM. DEIAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निदेशित प्रतिक्रिया से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसंधान (re-assessment) हेतु एन.ई.ए.सी., चलीसगढ़ के संकाय ऑफलाइन आवेदन किया गया है।

उक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., चलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सहायक अधिका, कमरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा माली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के तहत निर्मित कंपनी कपिल आईएमिग निर्यातक प्राइवेट लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एंजॉयमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या अधिका, श्री कपिल अधिका एवं श्री सहायक अधिका है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

I. पूर्व में पुनः प्राप्त खदान खसत क्रमांक 416/2, 424/2, 425/1, 425/2, 467/3, 467/3, 467/5, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4 एवं 469/5, कुल क्षेत्रफल-4.774 हेक्टेयर, लागत-85,880 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निदेशित प्रतिक्रिया, जिला-समुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष के लिए वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खसत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"IA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

कमरेक्टर अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/02/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के घासन में की गई कार्यवाही की नव-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित हार्दनुसार पुनःअवलोकन नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कमरेक्टर (खनिज सहाय), जिला- समुर के ज्ञापन क्रमांक 2311/ख.सि./न.अ. /2023 समुर, दिनांक 03/08/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 02/04/2018 से दिनांक 31/03/2018	80
2018-20	111
2020-21	निर्दिष्ट
2021-22	480
2022-23	22,480

3. घास पैदावार का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन एवं अंतर की स्थापना के संबंध में घास पैदावार मूल का दिनांक 01/12/2018 का 10 वर्षों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में लीज क्षेत्र के समस्त खसरी का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के समस्त खसरी का उल्लेख करती हुए अद्यावत घास पैदावार का अनापत्ति प्रमाण पत्र साईंमल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. उत्पादन योजना - सीडिआईड क्वार्टी प्लान, इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट प्लान एम्ब क्वार्टी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (स.स.) संचालनकाल, सीमिटी तथा खनिकम्, नवा रायपुर अटल नगर के दू. ज्ञापन क्रमांक 3430/खनि 03/रा.प.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(1) नवा रायपुर, दिनांक 19/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2311-A/ ख.सि./ न.क्र./ 2023/ रायपुर, दिनांक 03/08/2023 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 44 खदानें, क्षेत्रफल 71,061 हेक्टेयर हैं।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संचालनार् - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2311-A/ख.सि./ न.क्र./ 2023/ रायपुर, दिनांक 03/08/2023 द्वारा 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संचालनार् हेतु जारी क्वार्टींग लेटर प्रस्तुत किया गया है। उक्त क्वार्टींग लेटर में संलग्न 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज जमिल क्वार्टींग रिजॉल्वेड प्रॉजेक्ट लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीथ 30 वर्षों अवधि दिनांक 02/04/2018 से 01/04/2048 तक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित क्षेत्र के समीपस्थ अन्य आवंटक के खसरा क्रमांक 387/2, 387/4, 387/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 385/2 एवं 386/2 हेतु कार्यालय वनमण्डलधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.न.क्र./रा/ रायपुर, दिनांक 06/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की आवश्यक दूरी से अधिक है।
10. महत्वपूर्ण संचालनार् की दूरी - निकटतम आबादी घास-मूल 300 मीटर, स्कूल घास-मूल 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल सारनाथ 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। सावन नदी 21.8 कि.मी., रोड ब्रिज 1.8 कि.मी., बांध 1 कि.मी., तालाब 380 मीटर, भीसनी ताबा 320 मीटर, शमील काली सड़क 280 मीटर एवं नहर 140 मीटर दूर है।

11. परिसिंचित/अपरिचिंतित खेतीयोग्य क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरावती, क्षेत्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित किरिक्ली पीएल्यूटेड एरिया, परिसिंचित/अपरिचिंतित खेतीयोग्य क्षेत्र या घोषित अपरिचिंतित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खान बंधा एवं खान का विफल – डिपोलीजिलहा रिजर्व 33,81,882 टन, माईनेवा रिजर्व 13,29,830 टन एवं रिक्लमेबल रिजर्व 11,88,053 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 11,873 वर्गमीटर है। खान कान्ट सेमी पैरामाईज्ड विधि से खानन किया जाता है। खानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 32 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,367 घनमीटर है तथा जोखर बॉल की मोटाई 1.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 31,828 घनमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खानन की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाता है। खानन में वायु प्रदूषण निबंधन हेतु जल का डिफ्लोव जाता है। वर्षाएं प्रस्तावित खानन का विफल निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खानन (टन)
प्रथम	85,809
द्वितीय	85,805
तृतीय	85,808
चतुर्थ	85,803
पंचम	85,842

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोल्डेल के माध्यम से की जाएगी। इस वास्तु कंट्रोल एजेंसी वाटर अथॉरिटी का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 2,208 नम वृक्षारोपण किया जाता है। वर्तमान में 1,000 नम वृक्षारोपण किया गया है, शेष 1,208 नम वृक्षारोपण प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, पॅकिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण लागू का निवारण निरस्त प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खानन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खानन कार्य नहीं किया गया है।
16. पर्युीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवश्यक मैसर्स बसल स्टोन द्वारा बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 10 दिसम्बर 2021 से 10 मार्च 2022 के मध्य किया गया था। उत्तमय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त),

जिला-रायपुर द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान पर बलस्टर का काम है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टाडी प्लान में की गई थी। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकांश बेसलाइन डाटा का उपयोग कर ई. आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके पालन सम्भव है।

17. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाइन डाटा असेसमेंट का कार्य 10 दिसम्बर 2021 से 10 मार्च 2022 तक किया गया।

18. माननीय एन.जी.टी. डिप्युटी सेक्रेटरी, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (असिजनल एपिलेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SELAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विद्यत विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया-

1. कार्यलय कन्सेप्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर को प्रमाण क्रमांक 2311-A/ ख.सि./ न.अ./ 2023/ रायपुर, दिनांक 03/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 71.081 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-मूरा) का रकबा 4.774 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-मूरा) को मिलाकर कुल रकबा 75.855 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी गयी।

2. समिति द्वारा विद्यत विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रस्ताव 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तुत स्टैम्पाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोपोज्ड/एकीकृत/निकायगत इन्वायर्समेंट असेसमेंट अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(र) का स्टैम्पाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) वन और जलवायु प्रोपोज्ड हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil / overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit Latest Gram Panchayat NOC mentioning all Khadas.

iv. Project proponent shall submit a copy of the information about the public area located within a radius of 200 meters attached to the covering letter.

- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit the copy of parchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणालिका (राज्य/आई/एन), प्रतीक्षण करी
 उपानुसार सुचित किया जाय।

7. मेसर्स कपिल नाइनिंग रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड (मुरा लाईन ब्लॉक ब्लॉकिंग, आयरस्कल-बी कपिल अडवाला, घान-मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती संख्यांक 2827)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन क्रम - एसआईए/ सीडी/ एमआईएन/
 438804/2023, दिनांक 12/08/2023 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण को संशोधित पूरा प्रस्ताव (सीएम एनएच) खदान है।
 काम-सूत, तहसील-तिलवा, जिला-रायपुर जिला खसरा क्रमांक 403/2, 404,
 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 468/4, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2,
 471/4, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8 एवं 471/9, कुल क्षेत्रफल-4.99
 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित जलधनन क्षमता-88,969 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित
 केन्द्रीय क्र. दिनांक 29/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न
 प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been
 decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through
 SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2023.
 In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-
 appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018
 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by
 SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time
 period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all
 such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time
 period of one month from issue of this OM."

उपरोक्त अधिसूचित केन्द्रीय क्र. दिनांक 29/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण
 सभागत निर्धारण प्रक्रियामें से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमूल्य (re-
 appraisal) हेतु एच.ई.ए.सी., जलवायु एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी दिनांक

08/10/2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के तहत निर्मित कंपनी अधिनियम
 सहायक निदेशिका प्राइवेट लिमिटेड के केन्द्रीय अधिनियम अधिनियम की प्रति
 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कंपनी के बोर्ड और अधिकारियों की संख्या
 अथवा, की अधिनियम अधिनियम एवं की तहसील अधिनियम है।

2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण में पूरा प्रस्ताव खदान खसरा क्रमांक 403/2, 404, 405/1, 405/2,
 405/3, 405/4, 468/4, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 471/4,
 471/5, 471/6, 471/7, 471/8 एवं 471/9, कुल क्षेत्रफल- 4.99
 हेक्टेयर, क्षमता- 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत
 निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक
 28/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की
 अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और
 जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक
 18/01/2021 अनुसार:-

"3A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय लीक्चर की वेबसाइट जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध है।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्चर की शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की 04-सम्बन्धित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- b. निर्धारित शर्तानुसार कूलरोयंग नहीं किया गया है।
- c. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 2312/ख.सि./न.क्र./2023 रायपुर, दिनांक 09/08/2023 द्वारा विगत शर्तों में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उल्लंघन (दण्ड)
दिनांक 02/04/2018 से दिनांक 31/03/2018	81
2018-20	111
2020-21	निरंक
2021-22	540
2023-23	70,467

1. ग्राम पंचायत का अनपेक्षित प्रमाण पत्र - उल्लंघन एवं प्रचार स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत मूत का दिनांक 01/12/2014 का 10 वर्षों हेतु अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनपेक्षित प्रमाण पत्र में लीज क्षेत्र को समस्त खसतों का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र को समस्त खसतों का उल्लेख करने हेतु अद्यतन ग्राम पंचायत का अनपेक्षित प्रमाण पत्र फाईनल ई-आईए सिटी के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सखनम योजना - सीडिफाईड क्वार्टर प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट रेगुलेशन प्लान एवम् स्वामी स्वीकृत प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनसमय, भीमिडी तथा खनिज, गवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के नू. द्वारा क्रमांक 3428/ख.सि. 02/मा.पर.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(1) गवा रायपुर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 2312-A/ख.सि./न.क्र./2023 रायपुर, दिनांक 09/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान 44 खदानों, क्षेत्रफल 70,845 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 2312-A/ख.सि./न.क्र./2023 रायपुर, दिनांक दिनांक 09/08/2023 द्वारा 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं हेतु जारी क्वार्टरिंग लेटर प्रस्तुत किया गया है। उक्त

कमालि लेटर में संलग्न 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज मालकी कविल माइनिंग रिलीजस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। लीज बीच 30 वर्षों अवधि दिनांक 02/04/2018 से 01/04/2048 तक की अवधि हेतु है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाफीत प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से समीपस्थ अन्य आवेदक के कलरा क्रमांक 287/2, 287/4, 287/17, 839/2, 839/7, 839/11, 839/13, 395/2 एवं 398/2 हेतु कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, रायपुर वनसंरक्षण, रायपुर के द्वारा क्रमांक/र.स.अ./घ/ रायपुर, दिनांक 08/05/2022 में जारी अनाफीत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की आवश्यक दूरी से अधिक है।
10. निकटतम संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाट-गुहा 850 मीटर, स्कूल घाट-गुहा 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल सारागांव 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.35 कि.मी. दूर है। खासून नदी 22 कि.मी., गाँव 980 मीटर, तालाब 390 मीटर, नहर 370 मीटर, बाँध 900 मीटर एवं रोड क्रिज 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पॉइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबिंबित किया है।
12. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – जिपसोलैजिकल रिजर्व 32,39,500 टन, माइनेबल रिजर्व 19,71,800 टन एवं रिक्वर्डेबल रिजर्व 18,74,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,150 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.35 मीटर है, गाँव 8,112.5 घनमीटर है। जोहर बॉल की मोटाई 2.25 मीटर है, गाँव 85,012.5 घनमीटर है। बीच की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अकल स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से डिजिटल एवं कंट्रोल अनाइस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	89,995
द्वितीय	89,999
तृतीय	89,992
चतुर्थ	89,999
पंचम	89,999

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से की जाएगी। इस कार्य में कुल प्रायः 500 घनमीटर की आवश्यकता होगी।
14. कुआरोगम कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहराई में कुल 1,422 मग कुआरोगम किया जाना है। वर्तमान में 1,000 मग कुआरोगम किया गया है, शेष 422 मग कुआरोगम प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ाई की गहराई में 1,000 मग कुआरोगम हेतु पंपों का योग, खोला, खान एवं सिंचाई तथा पत्र-पत्राह को लिए 5 वर्षों का घटकगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी चौड़ाई की गहराई में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ाई की गहराई में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदन में सभी बस स्टॉप द्वारा बेसलाइन आटा कलेक्शन का कार्य 10 दिसम्बर 2021 से 10 मार्च 2022 के मध्य किया गया था। तत्पश्चात् बेसलाइन आटा कलेक्शन की सुचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। उक्त आवेदित खदान उक्त कलेक्टर का नाम है, जिसके लिए ई.आई.ए. पट्टी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाइन आटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमति किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाइन आटा कलेक्शन का कार्य 10 दिसम्बर 2021 से 10 मार्च 2022 तक किया गया।
18. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में गृह्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-रायपुर के द्वारा जमांक 2312-A/घ. सि./न.अ. /2023 रायपुर, दिनांक 03/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 44 खदानों, क्षेत्रफल 70,845 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-गुहा) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-गुहा) की मिलकर कुल रकबा 75,733 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संलग्न खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने से कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की नहीं गयी।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रथम "बी" कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) और ईआईए / ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलायिंग इन्फार्मलेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. गोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेक्शन 1(ए) का नोटिफिकेशन (लोक सुनवाई सहित) और कोस माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil / overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit valid Gram Panchayat NOC mentioning with all Khassas.
- iv. Project proponent shall submit a copy of the information about the public area located within a radius of 200 meters attached to the covering letter.
- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit the copy of perchname and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half

yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

सबसे सटीक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स विनयक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं 881, रावांगछाड़ा इन्डस्ट्रियल एरिया, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2828)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 440080/ 2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकालम के तहत प्लॉट नं 881, रावांगछाड़ा इन्डस्ट्रियल एरिया, जिला-रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल-0.7183 हेक्टेयर में रेगुलरिजेशन कम एक्सपोजन ऑफ रोडिंग मिल क्षमता-29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकालम उपरंत परियोजना की विनियोग 3.2 करोड़ रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत कार्यकालमि से निर्णय किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अपना कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री निरीराज लोहा इन्डियट लिमिटेड, प्लॉट नं 509 एवं 510, रावा इन्डस्ट्रियल एरिया, लहरील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2828)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 440413/ 2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नं 509 एवं 510, रावा इन्डस्ट्रियल एरिया, लहरील व जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.4025 हेक्टेयर में रेगुलरिजेशन ऑफ रि-रोल प्रोडक्शन क्षमता - 8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 1.2 करोड़ रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश सिंघल, डी.जे.के.ए. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्बन्धी –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि-रीज्ड (स्टील) प्रोजेक्ट्स क्वॉटा-8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी दिनांक 23/10/2004 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण किया दिनांक 30/04/2029 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त बन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समीपस्थ स्थित शिपयार्डों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आसानी ग्राम-उत्तरा 1.1 कि.मी., स्कूल कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन जमशुवा 5 कि.मी. एवं स्वामी शिवेश्वरंद विमानस्थल, माना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 कि.मी. दूर है। चारुन नदी 3.5 कि.मी. दूर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवालय, परिसिध्दिकीय सोपानहीन क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।

3. लीज क्षेत्र का विवरण – छत्तीसगढ़ स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नेशनल ग्री गिरीश लोहा प्राईवेट लिमिटेड, चरला इन्फ्रस्ट्रक्चर एरिया, लक्ष्मील व जिला-रायपुर की प्लॉट नं. 509 एवं 510, क्षेत्रफल 48,330 वर्गमीटर (1.07 एकर) हेतु लीज दिनांक 03/07/2020 से दिनांक 01/09/2100 तक जारी किया गया है।

4. क्षेत्र परिचा सटैबलिट –

S.No	Particular	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Building & sheds	2,130	4.5
2.	Road	236	5.3
3.	Green Belt Area	1,722	40
4.	Open Area	235	5.3
	Total	4,305	100

5. री-मोविंग –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ellets	9,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 9.000 TPA

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फायरहाईमर जोल आधारित रि-डिस्ट्रिब्यूशन कनेक्शन रोलिंग मिल स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित रि-डिस्ट्रिब्यूशन कनेक्शन रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु गेट स्लूवर स्थापित है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिग्रीघन सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष से कम रहा जाना प्रस्तावित है।

8. ठोस अवशेष उपचारण व्यवस्था - रोलिंग मिल से मिल स्कैल-200 टन प्रतिवर्ष एवं एचड कटिंग-300 टन प्रतिवर्ष अवशेष के साथ में उत्पन्न होता है। मिल स्कैल एवं एचड कटिंग को सफेदकच रीटेल उद्योग को विक्रय किया जाना बताया गया है।

9. जल प्रयोग व्यवस्था -

- जल सप्लाई एवं स्वीट - परियोजना हेतु कुल 8 घनमीटर वन टाईम वॉटर डिमांड है। परियोजना के निवृत्त संभालन हेतु डेसॉल्ट वॉटर कुल 4.5 घनमीटर प्रतिदिन (सुनिश्चित हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, क्लोरिनेशन एवं डस्ट सफाई के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं फोल्ड उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से की जाती है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया में क्लोरिनेट उपयोग प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष जल की उष्णता कम करने के लिए क्लोरिनेट हेतु उपयोग में लाया जाता है। फोल्ड क्लोरिनेट जल के उपयोग हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। मृदा निरक्षरण की स्थिति रखी जाती है।

- मृ-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेंट्रल घाटमंडल वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुहर एवं कचरा उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत शुद्ध जल का पुनःसंचयन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) घाटमंडल वाटर निवारण हेतु अगलई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्बरिस्टिंग / ऑटोमैटिकल जल निवारण के आधार पर मृ-जल निवारण करने की अनुमति सेंट्रल घाटमंडल वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। जल उपयोग द्वारा परिवहन में रेनवाटर हार्बरिस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- वन वॉटर हार्बरिस्टिंग व्यवस्था - वन वॉटर हार्बरिस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. विद्युत आपूर्ति स्वीट - वर्तमान में परियोजना हेतु 500 क्वी.सी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति इलाहाबाद राज्य विद्युत निरक्षण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु की



जी. सेट कॉन्सिडरेशन एवं डिग्री की जांच के संबंध में जानकारी काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. कूड़ासेपन संबंधी जानकारी – उचित परिदृश्य के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.1722 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 430 नव पीढी का कूड़ासेपन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि कूड़ासेपन हेतु (पीछी की संख्या सहित) पीछी का क्षेत्र (50 प्रतिशत जीवन दर सहित), गुआ हेतु सेपिंग, काच एवं सिंघई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षाजल संचयन एवं सफाई का व्यवस्था सहित विस्तृत प्रस्ताव काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बैंगलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के मध्य किया गया है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.जा. 2050(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.जा. 2050(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टील ई.आई.ए. रिपोर्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन्वॉल्वमेंट क्लीयरेंस अथवा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 3(ए) का स्टील ई.आई.ए. रिपोर्ट (विना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इन्वॉल्वमेंट (कैरल एण्ड नॉन-कैरल) हेतु निम्न अधिलिखित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).
- EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

- vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- viii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- ix. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 03.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एच.ई.आई.ए.ए.), अंतीमपत्र को तदनुसार सुधित किया जाए।

10. मेराली पीठा बाकना आर्दिनरी स्टोन ब्लॉकि (प्रो.- बीनती पीठा बाकना), ग्राम-कोटेल, तहसील-बाबाना, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (राजिवालय का गल्ली क्रमांक 2820)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440321/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरा से संबंधित बाकना राज्य (पीठा खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोटेल, तहसील-बाबाना, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खला क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-28.738 टन प्रतिवर्ष है।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस में रीविज्ण दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसकी पैरा 4 में निम्न प्रकथन है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by CEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-

appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रियण के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-approval) हेतु एन.ई.ए.सी., उत्तरांचल के राज्य ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., उत्तरांचल के ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी जानकारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीं, प्रस्तुत जानकारी का अनावृत्त एवं पंजीकृत करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में सहायता प्राप्त (सीए स्तरीय) सहायता प्रस्ताव क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टर, सतत-38,738 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रियण, जिला-उत्तर बंगाल कार्गो द्वारा दिनांक 28/12/2018 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की सूच-प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्यानुसार किये गये कार्यानुसार के पीछे में संशोधन (Modification) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोडॉक्युमेंट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय कोऑर्डर (अभिज्ञ सहाय), जिला-उत्तर बंगाल कार्गो के पु. ज्ञापन क्रमांक 2068/अभिज्ञ/अ.सि./उ.प./2002 कार्गो, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उल्लेख की जानकारी किन्तुनुसार है—

वर्ष	उत्पादन (मिनरीटल)
2018-19	8,181
2019-20	2,668
2020-21	11,837
2021-22	15,642
2022-23	12,325

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये पर्यावरण की जानकारी अभिज्ञ विभाग के द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- घान संशोधन का अनावृत्त प्रमाण पत्र – पर्यावरण एवं जल संसाधन के संस्था में घान संशोधन कोर्टेला का दिनांक 23/08/2011 का अनावृत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उल्लंघन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अफिसरी, जिला-दक्षिण बहार दोंबाड़ा के डायन क्रमांक 301/खनिज/2018 दोंबाड़ा, दिनांक 13/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-पुनर बहार कांसेर के डायन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांसेर, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.87 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-पुनर बहार कांसेर के डायन क्रमांक 803/खनिज/ख. लि./उ.प./2023-24 कांसेर, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी डायन पर अनुसार सख्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, पुल, इन्फ्रस्ट्रक्चर, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। सामान्य मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।
6. भूमि एवं सीज का विवरण - यह सामंजस्य भूमि है। सीज सीधी नीला बागना के नाम पर है। सीज क्षेत्र 20 वर्षी अवधि दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमोदित डायन पर - कार्यालय वन सप्लाइडिवीजन, सामान्य वन सप्लाइ, कांसेर के डायन क्रमांक/स.वि./1825 कांसेर, दिनांक 28/08/2002 से जारी पर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का पर्याप्त कर्तव्य रूप कार्यालय वनसप्लाइडिवीजन का अनुमोदित डायन पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महानदी संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कोटेला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-कोटेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुरी 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.4 कि.मी. दूर है। महानदी 2.8 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलैजिकल रिजर्व 8,83,013 टन एवं साईनेबल रिजर्व 3,28,708 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उल्लंघन किया जाता है। उल्लंघन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। सीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में क्वारर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1,173 वर्गमीटर है। जैक डैमर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल कार्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण

निर्धारण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,367	षष्ठम	31,132
द्वितीय	34,367	सप्तम	31,132
तृतीय	34,367	अष्टम	31,132
चतुर्थ	31,132	नवम	31,132
पंचम	31,132	दशम	39,738

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से किया जाता है। इस कार्य सेन्ट्रल पावर हाउस अथॉरिटी का अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में कुल 1,170 नम (आमुर, नीम, पीपल, शरद, शीशु, अमलताक) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,170 नम पीपल के लिए राशि 81,800 रुपये, आम के लिए राशि 11,700 रुपये, शरद के लिए राशि 3,78,000 रुपये, शीशु के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं सब-मकान आदि के लिए राशि 38,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 8,28,800 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,81,480 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** - लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,807 वर्गमीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमतिपत्र जारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय नीति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः लीज उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम सोल मॉडर्निज प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 13.13 के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नईम लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से शर्तों उपरोक्त नियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Kotela	
			Plantation	1.348
			Total	1.348

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (पीप, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीपों के लिए राशि 2,000 रुपये, आम के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंवाई तथा रज-रजाम आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 32,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 128,000 रुपये हेतु भटकरवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रशासक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑपिनियन मेमोरैण्डम में दिये गये निर्देश का विन्यूनत पालन किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 18,488.4 टन में से आवश्यकता अनुसार वाली में मरम्मत किया जायेगा एवं अधिशेष राशि को भी खर्च किया जायेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु संरक्षित का निर्माण किया गया है।
20. खदान में कंट्रोल स्थापित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर बाधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपों का सतर्कतापूर्वक सेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायल्यूटी फिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. क्वालीकेशन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का दस्तावेज़ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का दस्तावेज़ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.का. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का दस्तावेज़ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति के फालन प्रतिवेदन की जैसी सहजता संबंधित पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से क्युडिटिव इनट क्लेयरिंग होना, वन स्थलों पर नियमित जंग छिड़काव की व्यवस्था किये जाने संबंधित दस्तावेज़ (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

शर्तों द्वारा विचार किर्वां उपरोक्त कार्यसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्देश दिया गया—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये क्लेयरिंग के पीछे में संख्यांक (Numbering) एवं पीछे के नाम का प्रलेख किया जाकर सीटीफासत सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरोक्त से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त सिटी की माफ एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदिता क्षेत्र की दूरी का प्रलेख करती हुए क्लेयरिंग क्लेयरिंग/प्रकारों का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्थूल परिसर में किये जाने वाले क्लेयरिंग हेतु प्रस्तावित स्थूल के प्रदानवाटक का शर्तों पर प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन सीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सीपटी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भवन किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन सीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सीपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त उपचारों (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के निरोध हेतु आवश्यक उपचारों तथा क्लेयरिंग आदि के किये क्युडिटिव उपरोक्त संबंधित संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिज, ईंधनारी प्लान, तथा राधपुर अटल क्लेयर, जिला – राधपुर (उत्तीकरण) को पत्र लेख किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीपटी में उत्खनन कार्य करने पर जीव उपरोक्त निषेधानुसार क्लेयरिंग कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिज एवं पर्यावरण को शर्तों पर प्रदानवाटक पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा राधपुर अटल क्लेयर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संघालय, संकलन-काल, भीमिडी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को धरि पहुँचाने हेतु अतीसमय पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र भेजा गया।

11. मेराली पहा बाचना अर्द्धिनरी स्टोन क्वारी (जी-सी पहा बाचना), ग्राम-बीलखंड, तहसील-बावाना, जिला-उत्तर बंगाल कांठ (सचिवालय का नसी क्रमांक 2831)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 442331/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संरक्षित सहायक पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बीलखंड, तहसील-बावाना, जिला-उत्तर बंगाल कांठ स्थित खदान क्रमांक 382, कुल क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-41,729 टन प्रतिवर्ष है।

साथ सरकार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस नोटेफिकेशन दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस नोटेफिकेशन को उद्देश्य परिचोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रधिकरण को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एसआईएसी, पत्नीचण्ड को समस्त ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, अतीसमय के ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वडा बाबु, प्रोग्रामर/एन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण से सहायक पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान क्रमांक 382, कुल क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, क्षमता-41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रधिकरण, जिला-उत्तर बंगाल कांठ द्वारा दिनांक 28/12/2018 को जारी की गई।
2. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- क. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पार्यावरणीय सीमांकु के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार किये गये कुशादेयन के पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोवाकफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ख. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-उत्तर बस्तर कांठेर के पृ. द्वारा क्रमांक 2019/खनिज/ख.सि./उ.प./1997 कांठेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उखनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उखनन (घनमीटर)
2018-19	2,981
2019-20	1,080
2020-21	8,507
2021-22	18,508
2022-23	15,697

समिति का मत है कि पार्यावरणीय सीमांकु द्वारा होने के उपरान्त से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उखनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

1. दान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उखनन एवं उखन स्थापना के संबंध में दान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. उखनन योजना - कांठेर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर एतेवाड़ा, के द्वारा क्रमांक 300/खनिज/2018 योजना, दिनांक 13/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-उत्तर बस्तर कांठेर के द्वारा क्रमांक 828/खनिज/ख.सि./उ.प./2023-24 कांठेर, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार अर्धवित्त खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-उत्तर बस्तर कांठेर के द्वारा क्रमांक 837/खनिज/ख.सि./उ.प./2023-24 कांठेर, दिनांक 12/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उखत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, एम्बेक, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतीकित क्षेत्र स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 100 मीटर की दूरी पर तथा कबरी लगभग 70 मीटर की दूरी पर है।
5. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सरकारी भूमि है। लीज की घट बांधना के नाम पर है, लीज कीड 25 वर्षों अवधि दिनांक 01/04/1997 से 13/03/2022 तक की अवधि हेतु किया की। तत्पश्चात् लीज कीड 5 वर्षों अवधि दिनांक 14/03/2022 से 31/03/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांठेर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./स्टी/सा.प./885 कांठेर,

दिनांक 31/03/1997 से जारी पत्र अनुसार "सीज क्षेत्र में लगे हुए क्षेत्र में पूर्व में लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व प्रदूषणकारी विभाग द्वारा अम्ल वर्षण बनाया गया था। अतः अम्ल वर्षण से संबंधित पूर्व विद्यमान संबंधित विभाग से प्राप्त कराया जायित होना एवं इस संबंध में एक वर्षीय काल से लगातार कृषि भूमि एवं आवासीय निवास कर रहे छात्रों को स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में संबंधित राज्य अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एवं जिला स्तर पर महिला परिवार कल्याण से विचार विमर्श किया जाकर 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा" का उल्लेख है। समिति का मत है कि निकटतम इन क्षेत्र में आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय अमरावती/अधिकारी का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. महात्मा पूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घान-झीरडोला 2 कि.मी., स्कूल घान-लखनपुरी 5 कि.मी. एवं अस्पताल घान-लखनपुरी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 181 नीचे दूर है। महानदी 4.3 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमरावती, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिचली वील्डुटेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण - रिजर्वेशन/रिजर्वेशन निजर्ग 10,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,00,000 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,427 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। सीज क्षेत्र में अपनी गिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अंतर स्थिति है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। जैक हेमल से डिजिटल एवं सटोस कास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,997	पंचम	41,729
द्वितीय	33,997	षष्ठम	41,729
तृतीय	33,997	अष्टम	41,729
चतुर्थ	30,411	नवम	41,729
पंचम	41,729	दशम	41,729

12. जल आपूर्ति - परिवर्तना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घणमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोवेल से किया जाता है। इस वास्तु सेक्टर वायुमंडल क्वॉलिटी का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. कृषीकरण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में चाली और 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,000 मग (आमूर, जामुन, नीम, पीपल, कदम, हीरु, अमलतास) कृषीकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 मग पीपल के लिए राशि 73,000 रुपये, आम के लिए राशि 10,000 रुपये, पीपल के लिए राशि 3,40,000

(Handwritten signature and initials)

समय, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रक्ष-रक्षा आदि के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,80,250 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,57,800 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,487 वर्गमीटर है, जिसमें से 2434 वर्गमीटर क्षेत्र 20 मीटर की गहराई तक एवं 2,053 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उल्खनित है, जिसका उल्लेख अनुबंधित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन किया जाना पर्यावरणीय लक्ष्यता की शर्तों का पालन है। अतः जीव उपसंहार निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उल्खनित क्षेत्र को पुनर्स्थापन किये जाने हेतु वेस्टोपेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जीव शैल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 7(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े संरक्षी जोन में कृताधीन किया जाना आवश्यक है।

8. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपसंहार निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Khairkheda	
			Plantation	1.348
			Total	1.348

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में कृताधीन (नींव, आर्म, कचरा, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीपल के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रक्षा आदि के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 89,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले

कृषाटीपन हेतु प्रस्तावित स्कूल को प्रधानाचारक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना केन्द्रीयकरण में विद्ये गये निर्देश का विन्मूयन प्रालन किये जाने बाबत् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 18,885.4 टन में से अन्तःप्रकलन अनुसार मात्रे में मलमल किया जायेगा एवं अधिसूचना यदि कये तो सम्बन्धित विभाग के सहमति से कियन किया जायेगा।
18. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किली भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु प्रोत्सहित का निर्माण किया गया है।
19. खदान में कंट्रोल मलरिंटन किये जाने बाबत् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. सड्मिग जीव संर के अंदर सपथ कृषाटीपन किये जाने एवं संमित पीपी का सपथमिल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चिता किये जाने बाबत् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाजपुड़ी डिपलरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चिता किये जाने बाबत् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. प्रतीरानड आदर्श दुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्लेनी को संरक्षण किये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिषेोजना/खदान से सम्बन्धित कोई न्यायालयीन प्रकलन देश के अंतर्गत किली भी न्यायालय में लखित नहीं है।
24. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लेखन का प्रकलन लखित नहीं है।
25. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय सीड्दुति के प्रालन प्रलियेदन की कौपी सदस्य लखित पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।
26. परिषेोजना से दिन-दिन स्थली से प्लुजिडिड वस्त उल्लेखन होगा, उन स्थली पर निरधिनित जल डिप्लेकन की व्यवस्था किये जाने बाबत् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से कियानुसार निर्णय किया गया—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार किये गये कृतनीयता की शीर्ष में संख्यांक (Numbering) एवं शीर्ष के नाम का प्रत्येक किया जाकर शीर्षोच्छ्रित सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी सविज्ञ विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं अन्वय स्थापना के संबंध में राम संघमत्त का अनामित प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. खपती मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का प्रत्येक कर्मों हुए कार्यालय वनसम्पदलक्षिकारी का अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले कृतनीयता हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाचारक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. साईन लीज क्षेत्र के जारी और 7.5 मीटर चौड़े सेपटी ज़ोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःसंस्थापित किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. साईन लीज क्षेत्र के जारी और 7.5 मीटर चौड़े सेपटी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपचारनी उपार्य (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर साईनिंग कियेकालागी के कारण उत्खनन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपार्य प्लाट कृतनीयता आदि के किये समुचित उपार्य बाक्य संघालक, संघालनालय, भूमिही तथा खनिकर्म, इंधनकारी मंडल, नवा सवपुत अटल नगर, जिला - राधपुर (अलीसमगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा नदरी में अवीध उत्खनन घड़े जाने पर जीव उपरान्त नियमनुसार वैखनिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भूमिही तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पट्टुधाने हेतु अलीसमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा सवपुत अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्ता समस्त पूर्ण जानकारी/समावेद्य प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिषीयनक प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। तथा ही संघालक, संघालनालय, भूमिही तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पट्टुधाने हेतु अलीसमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा सवपुत अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स चोपल सैन्ड साईन (प्री- श्री विनीत सिंह कनिष्ठ), नगरपालिका परिषद-चोपल, टाहनील-चोपल, जिला-जांजगीर चोपल (सविधानक का नली क्रमांक 2626)

अनिलसाईन आवेदन - उपरोक्त क्रमांक - एसआईए/ सीपी/ एसआईएन/ 443413/2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

अन्वय का विवरण - यह प्रस्तावित वेत खदान (पीन खनिक) है। खदान नगरपालिका परिषद-चोपल, टाहनील-चोपल, जिला-जांजगीर चोपल स्थित प्लॉट अंक खाला क्रमांक 507, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हस्तक्षेप नहीं

से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—71,260 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रलीक्षण के दौरान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 800वीं बैठक दिनांक 13/10/2023।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेंद्र कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. नगरपालिका परिषद का अनामति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में नगरपालिका परिषद बांधा का दिनांक 09/12/2022 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारवा से द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना — रिवर बेड सेम्ब साईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 1482/खनिज/उ.ख.अ. /2023-24 कोरवा, दिनांक 01/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जांजगीर-बांधा के द्वारा क्रमांक 2758/ख.लि./रेत/2023 जांजगीर, दिनांक 10/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/बांधनाई — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जांजगीर बांधा के द्वारा क्रमांक 2758/ख.लि./रेत/2023 जांजगीर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मण्डप एवं एनिकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. की विनीत सिंह अग्रिय के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जांजगीर बांधा के द्वारा क्रमांक 2277/गैस खनिज/गीलापी/न.क./2023 जांजगीर, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

प्रलीक्षण मातान्, खनिज उत्खनन विभाग, मंचालय, महानदी बयन, नया रावपुर अटल नगर द्वारा प्रलीक्षण गैस खनिज सारवालन रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिनियम दिनांक 09/08/2023 की जारी की गई है। उक्त अधिनियम के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-सम्बन्धित रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (जांजीर) चम्पा कर्मठर, चम्पा के हाथन अनांक/मा.वि./3429 चम्पा, दिनांक 29/08/2023 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 18 कि.मी. दूर है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. नहरवर्धन संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाट-बांध 130 मीटर, स्कूल घाट-बांध 700 मीटर एवं अस्पताल घाट-बांध 1.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.55 कि.मी. एवं राजमार्ग 320 कि.मी. दूर है। तालाब 550 मीटर, नहर 1.5 कि.मी., नाला 1.25 कि.मी., एरीकट 1.4 कि.मी. एवं रीढ़ सिंच 1.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 370 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 281 मीटर, न्यूनतम 279 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 134 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी – अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.04 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमेदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 71,290 टनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की वार्षिक गहराई का मापन कर, अनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.04 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलर्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुना 25 मीटर के विड बिन्दुओं पर दिनांक 01/08/2023 की रेत सतह के वर्तमान लेवलर्स (Levels) लेकर, उन्हें अनिज विभाग से प्रामाणिकता उपरंत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से पूर्ण उपरंत विमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.50	2%	1.63	Following activities at Nagar Palika Parishad-Champa	
			Plantation at Village pond	1.70
			Total	1.70

15. सीईआर के अंतर्गत तालाब पन (आम, कटावल एवं जामुन) कुआरीयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान 80 नम जिसमें से 20 नम तूब चूई में तालाब की खोई और अवस्था है। क्षेत्र 70 नम चौकी के लिए राशि 7,000 रुपये, खोईय के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रकान आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 50,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,14,000 रुपये हेतु पर्याप्त व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिका परिषद चौका की सहमति उपरोक्त कुआरीयन स्थान (खसरा क्रमांक 1820, क्षेत्रफल 2.668 हेक्टेयर) की संस्था में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. कुआरीयन कार्य - नदी के तट पर शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 184/1, कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर) में 1,000 नम कुआरीयन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रारम्भ निरंजन हेतु परियोजना के दौरान सड़क/पट्टा मार्ग से उपयुक्त जल उपकरणों के निरंजन हेतु जल सिंचन	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट (शासकीय भूमि में 800 नम) कुआरीयन हेतु	1,00,000	-	-	-	-
खोईय हेतु	82,000	-	-	-	-
खाद हेतु	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
सिंचाई एवं रक-रकान हेतु राशि	1,56,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000
कुल राशि = 14,37,000	4,37,000	2,56,000	2,56,000	2,56,000	2,56,000

17. परियोजना से विन-विन स्थलों की क्वॉलिटीव इस्ट इमप्रूवमेंट होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान क्षेत्र के आम-खस नदी तट एवं पट्टा मार्ग में स्थान कुआरीयन किये जाने एवं संचित चौकी का सार्वजनिक रेट (Burethal rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. अतीसमझ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(अ), दिनांक 14/05/2017 से अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. सान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. सान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (C) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छायाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा इन्फोर्मेट एम्ब नॉनितरिन माईकलाईना फॉर सेक्टर 2020 के प्रस्तावों का पालनकिया जायेगा तथा अनुमोदित परामर्श योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही कलानन किया जाएगा।
27. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खानन के दौरान समन्वयक सीड माईनिंग माईकलाईन 2018 एवं इन्फोर्मेट एम्ब नॉनितरिन माईकलाईन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रस्तावों का पालन किया जाएगा।
28. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित वाम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, विधेदेन पोटेंचोक सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आवधिक रिपोर्ट में सम्पहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिचीजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवधिक स्थल से स्कूल 700 कि.मी., अस्पताल 1.15 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 130 मीटर की दूरी पर है जो कि अ.न. नीम खनिज अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खानन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-
 1. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टीय मार्ग में बाड़ी और सभन नुसारोपन किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

- ii. बूल (ड्रस्ट) के निराकरण के लिए टीकर को द्वारा घनी को विकसित किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन टारमैडिन से बंद कर दिया जाएगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज न गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीप जगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।
 - vi. हमारे द्वारा घास में स्थित लकड़ों में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत प्रति सी.ई.आर. के तहत टाटाक के चारों ओर आज के विभिन्न प्रकृतियों, जंगल एवं कटवत आदि के पीछे का रोपण एवं सुखा हेतु पौधों तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण देखभाल किया जाएगा।
 - vii. सड़कों का पक्का राब-राब एवं बूल आदि से सुखा हेतु निर्धारित जल विकसित किया जाएगा, रोड, आबादी, स्कूल आदि पर बूल का प्रभाव नगण्य होगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्षों आतु में रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने का बंधू मान्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 31. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर रेत मछुंनित क्षेत्र में सीमा स्थापना करना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाइन के साथ में सीमेंट के खम्भे मढ़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
 32. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुशलरूपण कार्य को नॉन्प्रिफिट एवं नॉनप्रोफिट हेतु कि-प्लीज समिति (डोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीनगढ़ पर्यटन संस्थान सचिव के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुशलरूपण का कार्य पूर्ण किये जाने से उपरोक्त सहित कि-प्लीज समिति से सन्धयित कराया जाना आवश्यक है।
 33. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज जैसे रेत भरी बहान की कंपनी को है। जत भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भरी बहनों को नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की खार्चिक रेत पुनश्चलन संकेती अवधान कार्य एवं तालकेंदी आंकड़ी का समावेश नहीं किया गया है। इससे नदी बड़ी नदी है तथा इतने वर्षोंकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनश्चलन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किये गए उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (नगल्पसिखा परिवार-घोरा) का प्लान 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की बनी नदी।

- 1. मेलना मुडीग्रामा स्टोन पाईन (ओ- वी मयंक अडवाले), धाम-मुडीग्रामा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2488)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 431350/ 2023, दिनांक 31/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संशोधित सहाय्य पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान धाम-मुडीग्रामा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया किरात खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,496.84 टन (3,034.33 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संशोधन दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उपरोक्त अधिसूचना संशोधन के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निर्धारण प्राधिकरण को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एसआईएसी, धर्मशमभद्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, धर्मशमभद्र के द्वारा दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 28/07/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु वी मयंक अडवाले, प्रोमवर्द्धन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करते पर निम्न स्थिति पाई गई-

- 1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- 1. पूर्व में सहाय्य पत्थर खदान खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-8,496.84 टन (3,034.33 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनन योजना के अन्तर्गत पर 10 वर्ष अवधि दिनांक 31/03/2028 तक प्रदान की गई थी।

परिषद्द्वारा प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गाँव सरदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdown (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2021 तक वैध होगी।

- ii. परिषद्द्वारा प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी थोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिषद्द्वारा प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार कुलरोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के द्वारा अनांक 118/खनिज/उ.प./2023 बैकुण्ठपुर कोरिया, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी प्रस्ताव पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
01/09/2018 से 31/03/2019	2,430
2019-20	1,250
2020-21	2,854
2021-22	2,760
2022-23	2,480

2. घान पंचांग का अनापत्ति प्रस्ताव पर - उत्खनन एवं उत्तर के संकेत में घान पंचांग सर्वेक्षण का दिनांक 28/01/2014 का अनापत्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कच्ची प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-कोरिया के द्वारा अनांक 2082/खनिज/ख.नि./2015 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के द्वारा अनांक 117/खनिज/उ.प./2023 बैकुण्ठपुर कोरिया, दिनांक 28/08/2023 अनुसार अनापत्ति खदान से 500 मीटर के भीतर आवधिक 1 खदान, क्षेत्रफल 1.89 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के द्वारा अनांक 117/खनिज/उ.प./2023 बैकुण्ठपुर कोरिया, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी प्रस्ताव पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकाट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. लीज का विवरण — लीज की गारंटी अधिकांक के नाम पर है। लीज लीज 30 वर्ष अवधि विनांक 25/01/2017 से 24/01/2047 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि की कुल के नाम पर है, जखनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र — कर्नाटक वनस्पतलविभाग, कोरिया वनस्पतल, बैकुलपुर के ज्ञापन क्रमांक/वा.वि./1338 बैकुलपुर, दिनांक 01/08/2013 द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पुराने ड्रैजिंग तथा टीपिंग क्षेत्र के विभाग से आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित नहीं होने का उल्लेख है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घाट-मुडीइरिया 440 मीटर, स्कूल घाट-साईगटना 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुलपुर 0.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.35 कि.मी. एवं राजमार्ग 10.9 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 1.9 कि.मी., रोज नदी 1.3 कि.मी., नहर 420 मीटर एवं तालाब 410 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विरिक्तता रीजियन एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खान संयंत्र एवं खान का विवरण — माईनिंग प्लान अनुसार जियोमॉर्फिकल रिजर्व 1,40,000 टन, माईनेबल रिजर्व 82,718 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 83,448 टन का। वर्तमान में जियोमॉर्फिकल रिजर्व 1,03,338 टन, माईनेबल रिजर्व 58,088 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 59,451 टन क्षेत्र है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के खान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,308.87 वर्गमीटर है। खान कास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि के उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,734.83 घनमीटर है, जिसमें से 776 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनर्स्थापित किया जाएगा एवं शेष 7,019.88 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 348/3, क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री कृपाल सिंह) में भण्डारित कर संग्रहित रखा जाएगा। क्षेत्र की मोटाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। टैंक क्षेत्र से ड्रिलिंग किया जाता है। स्टाबिलिटी नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षा उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

22

D

वर्ष	उत्खनन (₹₹)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (₹₹)
प्रथम	8,495.84	चतुर्थ	8,495.84
द्वितीय	8,495.84	पांचम	8,495.84
तृतीय	8,495.84	छठम	8,495.84
सातवां	8,495.84	सातम	8,495.84
आठवां	8,495.84	आठम	8,495.84

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सोल्वेल के माध्यम से की जाती है। इस कार्य सेन्ट्रल हाउसिंग बोर्ड अयोध्या से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुशारोपन कार्य – क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 438 मटर कुशारोपन किया जाएगा। वर्तमान में 200 मटर कुशारोपन किया गया है, क्षेत्र 238 मटर कुशारोपन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमा क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (₹₹)	द्वितीय (₹₹)	तृतीय (₹₹)	चतुर्थ (₹₹)	पंचम (₹₹)
प्रारंभिक निरीक्षण हेतु परिवहन के दौरान लकड़ी/पट्टेय मार्ग से उत्खनन शुरू करने के निरीक्षण हेतु जल विद्युत	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
क्षेत्र की सीमा में (200 मटर) कुशारोपन हेतु	कुशारोपन (30 प्रतिवृत्त जीवन पर) हेतु रकम	23,500	—	—	—
	संरक्षण हेतु रकम	37,000	—	—	—
	खाद हेतु रकम	21,750	21,750	21,750	21,750
	विभाई एवं पत्र-पत्राव हेतु रकम	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य कार्य हेतु	5,000	—	—	—	—
कुल रकम = 11,74,250	2,87,250	2,21,750	2,21,750	2,21,750	2,21,750

15. क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉन्क्रीट पर्यावरणीय सचिव (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य चरणों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.83	2%	0.6326	Following activities at Nearby Village Pond, Village- Modipara	
			Plantation around village pond	0.78

			Total	6.78
--	--	--	-------	------

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम एवं जलानु) पुनःसंरचना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान 42 नम सीधी के लिए राशि 4,200 रुपये, बेंबिंग के लिए राशि 6,300 रुपये, छार के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा सब-सब्सिडि आदि के लिए राशि 13,000 रुपये, इस प्रकार प्रस्ताव वर्ष में कुल राशि 26,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम पंचायत बोर्ड/पंचायत के सदस्यों/उपस्थित पंचायत/सदस्य (संख्या क्रमांक 209, सीएफएल 0.4200 हेक्टेयर) के संख्या में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जल में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किये जाने, जो लक्ष्य मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भण्डारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित लक्ष्य मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुस्प्रयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. पर्यावरण बरत प्रस्ताव के निर्धारण हेतु निर्धारित जल सिंचकण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सामान पुनःसंरचना किये जाने एवं सेपिड सीधी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. अतीसमय आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निषेध के तहत बाउण्ड्री मिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संभालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटवर्ती जल स्रोतों को किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संभालन और रखरखाव हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : -
 - I. अक्षयित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
 - II. खदान कार्यलय से उत्पन्न चरे/अपशिष्टों के निपटारे के लिए सेंट्रिक टैंक और सेंक पड़े प्रदान किये जायेंगे।
 - III. सखी जल के संभालन के लिए खदान से चारों ओर बाउण्ड्री ट्रेन एवं सेंट्रल टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जायेगा।

(Handwritten signature and mark)

19. खदान के अंदर पानी द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकानुसार छातीनी को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. खदान की बाउंड्री के बाहरी ओर सभन कुआरोंपन किया जाएगा।

21. पक्का बांधर तालाब के बाहरी ओर भी सभन कुआरोंपन किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 410 मीटर तथा नहर 420 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त विन्दु क्रमांक (1) से (20) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उपलक्षण का प्रकरण लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान के जोरक कुनवाई के दौरान जो भी आवेदित, मुकदमा या मुद्दे उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब और जानकारीयों के अनुसार निराकरण किया जाएगा।

25. सार्वभौम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 03/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. सार्वभौम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 (2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विद्यमानुसार निर्धारित कुवखला तथा संचालन की आवश्यकता का अवलान भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 2.3 कि.मी., अस्पताल 4.3 कि. मी. एवं आबादी क्षेत्र 440 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—

1. खदान के पार्श्व बाउंड्री में बाहरी ओर सभन कुआरोंपन किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

2. धूल (अवट) के निराकरण के लिए टैंकर से द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।



- क. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन सार्वजनिक से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कों में बाधन से खनिज ना गिरे।
- ख. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होना।
- घ. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीप लगाकर खासकर परीक्षण करवाया जाएगा।
- च. हमारे द्वारा स्कूल में परिवोजना लगता 2 प्रतिशत सीईईआर के लक्ष्य खर्च किया जाएगा।
- ज. सड़कों का उचित रखरखाव एवं घुल जादि से मुक्ति हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में घुल का प्रभाव नगण्य होना।

31. समिति के बहान में यह उद्घोष किया कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइनिंग प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) छोड़ते हुए रिजर्व की गणना की गई है। जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कम लीज की सेंट्रल प्रामिटिंग, जोयन कास्ट सेमी मैडीनार्डिज विधि के उत्खनन एवं अधिकतम गहराई 8 मीटर किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि मुक्ता के कार्यों से लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संबंधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उक्तप्रकार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रावपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधित क्षेत्र वन प्रस्तुत किया जाए।
2. मुक्ता के कार्यों से लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संबंधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुमान एच.ई.ए.सी., धरतीतगड़ की 429वीं बैठक दिनांक 28/07/2023 के परिधि में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 28/09/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

समिति द्वारा क्वारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पाई गई-

1. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स-सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. मुक्ता के कार्यों से लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संबंधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाने के संबंध में परिवोजना प्रस्तावक का उद्घोष है कि पत्थर उत्खनन के दौरान कोई भी

क्वार्टरिंग नहीं किया जाएगा एवं जलखनन योजना में सीज क्षेत्र के चारों ओर प्रतिबंधित क्षेत्र 3 मीटर छोड़ते हुए अधिकतम गहराई 6 मीटर कम निर्बाध की गणना की गई है। इतिहासिक बिना क्वार्टरिंग का जलखनन योजना अनुमोदित है एवं ऑनलाईन में भी बिना क्वार्टरिंग का आवेदन किया गया है, जमा किये गये पी.एच.आर में भी क्वार्टरिंग का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, पी.पी.टी. में नुटियस कम लीकज की कन्ट्रोल क्वार्टरिंग बताया गया था। पी.पी.टी. की स्लाईव नम्बर 25 की संशोधित प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः जलखनन योजना को संशोधित किये जाने बाबत निर्देश को विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षावेषन कार्य को रीजिस्ट्रेशन एवं परीक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (डोपहाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यावरण/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इस्तीफाद पर्यावरण संरक्षण नम्बर के पर्यावरण/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षावेषन का कार्य पूर्ण किये जाने की उपरान्त गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.डी.टी., विधिवत वेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एनिसीकरण नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 03/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अभियंता सारङ्ग), जिला-कोरिया के द्वारा दिनांक 117/अभियंता/अ.प./2023 कैकुलपुर कोरिया, दिनांक 28/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.89 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुडीहरिया) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुडीहरिया) की मिलकर कुल क्षेत्रफल 4.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में वहीखुल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की माने गयी।
2. कार्यालय कलेक्टर (अभियंता सारङ्ग), जिला-कोरिया को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना नम्बर दिनांक 28/04/2023 के तहत परिषेचना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-approval) हेतु संबंधित समती को इस कार्यालय में अधिलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से आशेदक - मेजर मुडीहरिया स्टोन माईन (प्री- की मरक अवस्था) को ग्राम-मुडीहरिया, तहसील-कैकुलपुर, जिला-कोरिया के खसत क्रमांक 25 में स्थित सारङ्ग नम्बर (श्रीम अभियंता) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-8.435 टन (3.034 घनमीटर) प्रतिवर्ष

हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एच.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की तयानुसार सुविधित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साखों), जिला-बीजापुर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेकॉर्टी बैरगाड़ टेम्पली अडिबिनी स्टोन क्वारी (जी- की सुरेस चन्दाकर, नगर पंचायत-बैरगाड़, तहसील-बैरगाड़, जिला-बीजापुर (सविभाग का कारी क्रमांक 2486)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एच.आई.ए./ सीजी/ एच.आई.ए./ 431725/ 2023, दिनांक 31/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कृता पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान नगर पंचायत-बैरगाड़, तहसील-बैरगाड़, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खला क्रमांक 718, कुल क्षेत्रफल-2.788 हेक्टेयर में सी 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तयानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सुविधित किया गया।

बैरगाड़ का विवरण -

(ख) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 28/07/2023-

अनुमोदन हेतु की सुरेस चन्दाकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा कारी, अनुमोदन जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साखों), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 442/कले. /अग्निज/उ.प./2018 बीजापुर, दिनांक 18/03/2018 द्वारा जारी पत्र अनुमोदन नगर पंचायत बैरगाड़, तहसील बैरगाड़, जिला बीजापुर में स्थित भूमि खला क्रमांक 718, क्षेत्रफल 2.788 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर (अलग के उपयोग हेतु) उत्खनन पट्टा की कालावधि दिनांक 02/02/2013 से दिनांक 01/02/2018 तक की, विस्तार अवधान की कृता है।

2. कार्यालय अग्निज, पी.ओ.सी. के. के. बल्लभ डिभिजन बीजापुर के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी पत्र अनुमोदन सर्वेअडिबिनी (जगदलपुर में तुम्पार रोड, कुल लम्बाई 11.2 कि.मी.) के तहत कार्य आरंभ किया गया है।

3. नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत बैरगाड़ का दिनांक 17/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उत्खनन योजना - कारी प्लान (टेम्पली) किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं कारी अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प.), जिला-उत्तर बल्लभ डिभिजन के पु. ज्ञापन क्र. 808-807/अग्निज/उत्तर.पी.ओ. /उ.प./2023 कारी, दिनांक 27/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।





6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के प्रमाण क्रमांक 237/बले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्णय है।
7. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के प्रमाण क्रमांक 238/बले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बंध एवं जल संचयन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
8. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। एल.ओ.आई. की सुरक्षा पत्राकरण के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के प्रमाण क्रमांक 640/बले./खनिज/2022 बीजापुर, दिनांक 29/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी शिफा जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागीय, बीजापुर वनसंरक्षण, जिला-बीजापुर के प्रमाण क्रमांक/व.अ./4748 बीजापुर, दिनांक 18/11/2022 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कार्यालय वन निदेशक, इंदरगढ़ी टाउनशिप निजर्, जिला-बीजापुर के प्रमाण क्रमांक/वा.वि./606 बीजापुर, दिनांक 31/03/2023 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन मैलगाड़ अभयारण्य परिच्छेद की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मैलगाड़ 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-मैलगाड़ 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-मैलगाड़ 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 620 मीटर एवं राजमार्ग 35 कि.मी. दूर है। इंदरगढ़ी नदी 6.7 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पील्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
13. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - डिपेंडेंसिबल रिजर्व 5,35,054 टन, माईनेबल रिजर्व 2,00,083 टन एवं रिक्लैबल रिजर्व 1,80,078 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.788 वर्गमीटर है। खनन क्लॉट सभी मैकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में कनरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हेमल से ड्रिपिंग एवं कंट्रोल ऑपरेटिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्वारर स्थापित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रेशन किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित व्यय (₹)
प्रथम	1,00,000
द्वितीय	99,998

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति नगर पंचायत के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत नगर पंचायत बैठक/सत्र का अनायास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में खरपी मिट्टी न होने के कारण घास पंचायत फातरवाड़ा विद्युत सार्वजनिक भूमि खसरा क्रमांक 287 के तहत 8,288 हेक्टेयर में से 0,809 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। इस बाबत घास पंचायत फातरवाड़ा का अनायास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण के लक्ष्य निम्न कार्य प्रस्तावित है-

विवरण		प्रथम वर्ष (₹)	द्वितीय वर्ष (₹)	तृतीय वर्ष (₹)	चतुर्थ वर्ष (₹)	पंचम वर्ष (₹)
खसरा क्रमांक 287 के तहत 0.809 हेक्टेयर में (1,200 म ²) वृक्षारोपण के लिए	वृक्षारोपण (50 प्रतिशत जीवन वर्ष) हेतु राशि	79,200	7,820	7,820	7,820	7,820
	पेसिम हेतु राशि	3,10,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	9,000	900	900	900	900
	मिथाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,78,000	1,05,000	1,05,000	1,05,000	1,05,000
कुल राशि = 11,29,480		8,74,200	1,13,820	1,13,820	1,13,820	1,13,820

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखाव - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखरखाव कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के तहत विस्तार से चर्चा चर्चात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Village- Paterpara	
			Plantation	5,2029
			Total	5,2029

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत (सीम, जल, ऊर्जा, कचरा, जलवायु, अमलताज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 म² चौड़ी के लिए राशि 3,300 रुपये, पेसिम के लिए 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 150 रुपये, मिथाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,43,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल

वर्ष 1,82,880 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल वार्षिक 3,57,440 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त संशोधित पर्यावरण से सम्बन्धित उपरोक्त न्यायोपेक्ष स्थान (क्षेत्रफल क्रमशः 287 हेक्टर 8.288 हेक्टेयर में से 0.808 हेक्टेयर) की संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार वार्षिक का उपयोग करने हेतु सुझावित किया जाएगा। सीमित सीमा का 4 वर्षों तक वार्षिक देखभाल व रख-रखाव करने हेतु अनुमान 80 प्रतिशत जीवन संबंधित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. परियोजना की वार्षिक प्रस्तुत कार्य में उपयोग करने हेतु माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोग में ही कार्य किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लीयरेंस आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से दिन-दिन स्थानीय से क्विडिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, जो स्थानीय पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज मिट्टी से तहत बाजम्प्टी विल्ली द्वारा सीमन्ट का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्घित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, कालव, नदी, खास में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनकी विस्फोट इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दाय के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विस्फोट भागा सकार, पर्यावरण, जो और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लक्षित नहीं है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश

निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंशलेखन (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

अन्यथा उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., जलसंग्रह की 479वीं बैठक दिनांक 28/07/2023 के परिशेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/09/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अंशलेखन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. उल्लेखित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार सक्ति का उपयोग करते हुए पुनःसंयोजन किया जाएगा। संशोधित पीछी का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संतुष्टि सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की सक्ति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए मन्वीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. ब्लास्टिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराई जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. जलसंग्रह आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को संतुष्टि दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना से जिन-जिन स्थलों के अनुचित अस्ट चलाया होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनित निचरी के तहत बाजम्ही विल्लर्स द्वारा सौंपाये गए कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्घित जल का बहाव प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संयोजन किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.ओ. 804(ब), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लेख का प्रकरण ललित नहीं है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग वर्क के नॉटिफिकेशन एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-सदस्यीय समिति (जेनराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्लस्टरिंग पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
13. माननीय एन.डी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पार्लेड विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एपिलेसन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पठित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज संचय), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 237 / खनि. / खनिज / 2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (नगर पंचायत-मैरसगढ़) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की शर्तों पर दी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मैरस मैरसगढ़ टैन्कररी ऑर्डिनेरी स्टोन क्वारी (पी- श्री सुरेश चन्दाकर) को नगर पंचायत-बीजापुर, तहसील-मैरसगढ़, जिला-बीजापुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 718 में स्थित चूना पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.785 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता - 2,00,000 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-06 में उचित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एच.ई.आई.ए.ए.), क्लस्टरिंग से तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बासीन एलेग स्टोन माईनिंग (प्रा.) सी नीलम कुमार साहू, राम-बासीन, लहसील-राजिम, जिला-गण्डाबाद (भक्तिवालय का नक्की क्रमांक 981)

अनुमति आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48225/2018, दिनांक 24/10/2018 द्वारा टी.ओ.आई. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48225/ 2020, दिनांक 27/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अनाथित एलेग स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान राम-बासीन, लहसील-राजिम, जिला-गण्डाबाद स्थित खाना क्रमांक 1466/1, कुल क्षेत्रफल - 8.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनाथित जखनन क्षमता - 2435.04 टन प्रतिवर्ष है।

एम.आई.सी., प्रतीकनद के द्वारा दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण की-1 कंटेनरी का होने की कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्न ऑफ सिस्टम (टीओएस) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरीट इन्फार्मेट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंपनी (ए) का स्टैम्पड टीओएस (लोक सुनवाई सहित) ग्रीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओएस जारी किया गया।

अनुसार परिशिष्ट प्रस्तावक को एम.आई.सी., प्रतीकनद के द्वारा एवं ई-मेल दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 18/08/2021:

अनुमतिकरण हेतु बीमाटी साहि साहू, प्रतिनिधि तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कात्यानी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बईसर की ओर से डॉ. न्युनीता जैना विधिवी कन्सल्टिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई:-

1. अनुमतिकरण की दौरान बताया गया कि आवेदनक एम. सी नीलम कुमार साहू का आरम्भिक विधान होने के कारण, प्रकरण से संबंधी आगामी कार्यवाही उनकी उत्तरदायित्वारी ग्रीन बीमाटी साहि साहू द्वारा किये जाने हेतु समझ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जारी एम.ओ.आई. के नाम हस्तांतरण हेतु खनिज विभाग में आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही बीमाटी साहि साहू के नाम पर किये जाने हेतु अनुमति किया गया। किसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. खान पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - प्रस्तावक को संस्था में खान पंचायत बासीन का दिनांक 17/02/2014 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. जखनन योजना - माईनिंग प्लान (स्वामी प्लान, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एवं स्वामी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघालक (खनि.प्रदा.), संघालनालय, भीमिडी तथा खनि.कर्म, नरक रामपुर अदल नगर, प्रतीकनद के

ज्ञापन क्रमांक 8216-17/खनि 02/वा.प्र.अनुमोदन/न.क.03/2018 तथा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरीबाबंद के ज्ञापन क्रमांक 76/खनि./ज.ग./न.क./2020-21 गरीबाबंद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 44 खदानें, एकका 24.832 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरीबाबंद के ज्ञापन क्रमांक 705/खनि2/न.क./2019 गरीबाबंद, दिनांक 16/11/2019 द्वारा जारी प्रस्ताव पर अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एन्रीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल. ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-गरीबाबंद के ज्ञापन क्रमांक 230/खनि./ई निविदा/2018-19 गरीबाबंद, दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 8 गांव की अवधि एक थी। एल.ओ.आई. की किताब वृद्धि वास्तु न्यायालय संजालक मीनिस्त्री तथा खनिकर्म, तथा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 21/2020 द्वारा जारी पत्रित आवेदन दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विशेषता के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रकरण खींचकर कलौ हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरीबाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आह्वय पत्र में निर्दिष्ट कर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता की नीलम साहू, निवासी कामाधर, खनिज जिला गरीबाबंद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में अतीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8-42/2012/12, दिनांक 28/08/2020 के परिषेप में अतीसगढ़ गौल खनिज निगम, 2015 के निगम 42(3) के तहत एकल प्रकरण में निम्नानुसार अधिन कार्यवाही करने हेतु अधिरिका समयावधि प्रदान कलौ हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला गरीबाबंद को प्रचारवर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनावर्तित प्रस्ताव पत्र - कार्यालय वनसम्बन्धविश्वी, गरीबाबंद वनसम्बन्ध गरीबाबंद, जिला-गरीबाबंद के ज्ञापन क्रमांक /वा.वि./अनावर्तित/8342 गरीबाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनावर्तित प्रस्ताव पर अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा कालवापस अन्वयान्त्र 80 कि.मी. की दूरी पर है।
10. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-बासीन 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम-बासीन 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल बासीन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 114 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 258 कि.मी. दूर है। पोस्टो नासा 0.41 कि.मी. एवं सूखा नदी 4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/पैरिस्थितिकीय संरचनाओं का क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतीसगढ़ सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्वयान्त्र, संघीय प्रकरण निषेधन क्षेत्र द्वारा घेरित क्तिरिक्ती पॉल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संबंधित क्षेत्र या संबंधित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

12. खान खनन एवं खनन का विवरण – जिपसीटाइज्ड रिजर्व लगभग 1,12,320 टन, नाईनेबल रिजर्व 22,880 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 21,812 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,188 वर्गमीटर है। खान कास्ट बेनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में खान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खान की पिट्टी की मोटाई 8 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,032 घनमीटर है। खान की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खान की समतल आयु 10 वर्ष है। खान पर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,188	छठे	2,058
द्वितीय	2,052	सातवें	2,230
तृतीय	2,223	आठवें	2,093
चतुर्थ	2,086	नौवें	2,230
पंचम	2,218	दसवें	2,435

नोट: तालिका में दसमसत्र के बाद के अंशों को सतम्बद्धीक किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परिपोचना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टीकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 420 नए वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
15. खान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. औद्योगिक पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिपोचना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य स्वीकृत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.38	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Basin	
			Potable Drinking Water Facility with AMC	0.25
			Plantation	0.10
			Total	0.35

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदन के द्वारा बताया गया है कि कुल ऊपरी मिट्टी 18,002 घनमीटर जमा होगा। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (पाईन बागवड़ी) में 840 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को एकत्र कर इकटायर किया जाना प्रस्तावित है तथा बाँच ऊपरी मिट्टी को सड़कें द्वारा भूमि पर संरक्षित रखने हेतु स्वयं इच्छिकाओं से अनुमति उपरोक्त संरक्षित किया जाएगा।

18. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में कुल 48 खदानें आती हैं। वर्तमान में 8 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। बाँच 37 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रुचि नहीं ली जा रही है। अतः कलस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एरोध रोड से उत्पन्न कुल सस्ताजन के नियंत्रण हेतु जल सिस्टरम 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. बाँच के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. कम तक से कम दो कटार में इकटायर हेतु अनुमानित राशि 12,84,750/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगामी चार वर्षों तक सड़क-सड़क हेतु अनुमानित राशि 4,14,850/- व्यय किया जाएगा।
- III. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- IV. सड़कों का संभाल (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. पर्यावरणीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक सैटिलिटिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।
- VI. उक्त कार्य हेतु प्रथम पाँच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की तैयारी करती हूँ अनुमानित राशि रुपये 53,08,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु राज्य पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सड़कें अलग की गईं।
- VII. मॉनिटरिंग हेतु 12 लोगों की सैटिलिटिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

19. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (महा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं सैटिलिटिंग सुरुविष्टा किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन परिस्थितियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने

खाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, जलमत्त हेतु सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर में केबलिंग प्लान तैयार किये जाने हेतु संघसचिव, संघसचालक, सीनिडी तथा खनिज, इंदावली भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सीनिटींग कार्य दिनांक 18/12/2019 से दिनांक 18/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के गहूने एकीकृत कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. सीनिटींग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 19.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 42.2 से 57.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 6.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुकूल है।
- iii. परिवेशीय स्वतः के अनुसार जल स्रोतों की गुणवत्ता मापनीय मानक के अनुसार है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.8 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।

21. लोक सुनवाई दिनांक 10/03/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान चाम संघसचालक भवन बरनाडा, तहसील-राजिम, जिला-पाटियासंगड में आयोजन हुई। लोक सुनवाई प्रस्ताविक सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पाठ दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

- i. कालीन-बरनाडा में कालीचकर खदाने तकनीकन 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संघसचालक के पास पर क्षेत्र का दौरेन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 50-80 फिट या उनसे भी अधिक गहराई में अर्थ रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर लक्षित कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को सामन द्वारा जमा कर लोगों को गहरी फालन का उन खदानों को पाटकर उन पर बुझाहोपन के लिये उपयोग किया जाए। खदान संघसचालकों के द्वारा जनसुनवाई की सुझाव के लिए ऐतिहासिक उपकरण किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मामलों में रहते हुए खनन कार्य किया जाने एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अर्थ उद्योगन पर रोक लगावे।
- ii. खदानों संघसचालकों द्वारा कालीचकर की परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।
- iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान एकाधिक गरीब विधिवत सुर्दी के निराकरण की दिशा में परिवेशीय प्रशासक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का समन निम्नानुसार है-

(Handwritten signature and mark)

- i. सीमा क्षेत्र के चाली ओर परिवर्तन की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं पट्टेय मार्ग में सुधारोपम किया जाएगा। प्रस्तावित खदान की नियमनुसार रख-रखाव किया जाएगा।
- ii. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा जल सिंचकाल किया जाएगा। पट्टेय मार्ग के किनारे सुधारोपम की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. स्थानीय लोगों को अवसरानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

29. **माइनिंग क्लोजर प्लान** - खदान बंद करने के पूर्व निर्दिष्ट खदान के भराव हेतु 9 मीटर की गहराई तक 12.4037 क्यूबमीटर फलई रेत से एवं 8 मीटर की गहराई तक जोखर बईन/कपरी मिट्टी से भराव कर 760 नम सुधारोपम किया जाना प्रस्तावित है। प्रकृत हेतु समक पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमम सर्वकर्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवर्तना प्रस्तावक को हस्ताक्षरित एन.ओ.आई. (श्रीमती शशि साहू के नाम) की प्रति प्रस्तुत किन्हे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., जलेशमपट्ट के ज्ञान दिनांक 28/08/2021 के परिच्छेप में परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/09/2023 को जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया।

(iv) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-परिषद के ज्ञान क्रमांक 388/ख. ति./न.क./2020-24 परिषद, दिनांक 08/08/2023 द्वारा "जलेशमपट्ट गीम खनिज नियम, 2015 (यथा संशोधित) उपनियम 50(4) के अनुसार उपरोक्त खदान पट्टा संबंधी समस्त अधिन कार्यवाही खर्गीय श्री नीलम साहू के विधिक उत्तरदायित्वी श्रीमती शशि साहू प्रति एवं श्री नीलम साहू निवासी अमरावत, खनिज के नाम से संवदित की जावेगी। प्रस्तावित पट्टा के समस्त दस्तावेजों में खर्गीय श्री नीलम साहू के स्थान पर श्रीमती शशि साहू पड़ा जावेगा।" हेतु आदेश जारी किया गया है।
2. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपम कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-ज्जीव समिति (ज्येष्ठ/इतिनिधि, ज्ञान पत्रावत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलेशमपट्ट पर्यावरण संरक्षण समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) पठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपम का कार्य पूर्ण किन्हे जाने के उपरान्त पठित वि-ज्जीव समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वकर्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-परिषद के ज्ञान क्रमांक 19/ख. ति./ज.स./न.क./2020-21 परिषद, दिनांक 21/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें तथा 24.8322 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-बासीन) का क्षेत्रफल 0.82 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बासीन) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 25.6522 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघलित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टरों से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की बानी गई।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (पिआ संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की चलाकनन परिधिधियों से पर्यावरणीय घटना पर पड़ने वाले प्रभावों की संकलन हेतु कलक्टर में आने वाले चालक खदानों को शामिल कराते हुये, कलक्टर हेतु बीमन इन्फार्मेशन मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने लक्ष क्रियान्वित करने हेतु संघालक, संघालनालय, मीनिकी तथा खनिकर्मी इन्दाकारी कलन, कदा चामपुर अटल नगर, जिला - चामपुर (अलीगढ) के लर से चम्पुल कामवाली किये जाने हेतु निर्दिशत किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बारीन फलेग स्टोन माईन (प्री- सी नीलम कुमार शम्भु) को चाम-बारीन, लहसील-रजिन, जिला-गरिधरद के ललात अर्थांक 1428/1 में शिल्ल फलेग स्टोन (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टर, चलाकन क्षमता-2,435 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में शर्तित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

कलन राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकलन (एन.ई.आई.ए.ए.), अलीगढ की तदानुसार सुधित किया जाए।

4. मेसर्स बारीनशरीर लाईन स्टोन क्वारी (प्री-सी अशोक सिंह शम्भु), चाम-बारीनशरीर, लहसील-सिमगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटाचारा (सकिलालय का नली अर्थांक 1920) ऑनलाईन आवेदन - प्रवेजल नंबर - एन.आई.ए./ सीजी/ एन.आई.ए./ 71388/2022 दिनांक 25/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिशेजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिरी होने से अमल: इलन दिनांक 31/01/2022 एवं 17/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिशत किया गया। परिशेजना प्रस्तावक द्वारा शर्तित जानकारी अमल: दिनांक 08/08/2022 एवं 17/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित चुन कलन (पीन खनिज) खदान है। खदान चाम-बारीनशरीर, लहसील-सिमगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटाचारा शिल्ल अलात अर्थांक 471/2, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टर में है। खदान की आवेदित चलाकन क्षमता-10,000.00 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिशेजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, अलीगढ की इलन दिनांक 10/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 25/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक सिंह शम्भु प्रोफाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अकलन एवं परीकल करने पर निम्न शिधति गई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- i. पूर्व में कुल पक्का खदान खसरा क्रमांक 471/3, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता-10,000.00 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण संरक्षण विभाग, जिला-बलीदाबाजान-माटाघाट द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत सार्वजनिक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन द्वारा वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार पूर्वावेदन नहीं किया गया है।
- iv. विगत वर्ष में किये गये उत्खनन (द्वितीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति तक (द्वितीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. धाम पंचायत का अनाथालय प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत समीक्षक का दिनांक 23/04/1999 का अनाथालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उत्खनन के लिए 10 वर्ष हेतु सीज में दिखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत का अनाथालय प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त-संचालक (ख.उ.) संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर से दू. ज्ञापन क्र. 8902/खनि. 02/सा.प्र.अनुमोदन./न.स.08./2021(2) नया रायपुर, दिनांक 30/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - सार्वजनिक कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजान-माटाघाट के ज्ञापन क्रमांक 303/ख.नि./2022 बलीदाबाजान, दिनांक 20/08/2022 अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 83.273 हेक्टेयर है।



5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-भाटावाड़ा के डायन क्रमांक 303/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 20/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तुत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनोकाट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज क्षेत्र का विवरण – यह सामंतीय भूमि है। लीज की अवधि काबुल से गम पत्र है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अवधि दिनांक 10/08/2002 से 09/08/2012 तक की अवधि हेतु किच की। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों अवधि दिनांक 10/08/2012 से 09/08/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. किन्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की किन्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्पोरेट वनस्पतलधिकारी, बलीदाबाजार वनस्पतल, बलीदाबाजार के डायन क्रमांक/सबनीसी/खनिज/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/08/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10.2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घास-तनीजरीद 1.2 कि.मी., स्कूल घास-सुहेला 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल घास-सुहेला 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 12.5 कि.मी. दूर है। विजनाथ नदी 17.7 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्धकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इन्डिक्स्ड पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खान संपदा एवं खान का विवरण – जियोस्ट्रैटिगिकल रिजर्व 11,88,485 टन, पाईरेटल रिजर्व 4,24,744 टन एवं निकलहेक्स रिजर्व 4,12,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,117.14 वर्गमीटर है। जीवन काल के अनुसार विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। लीज क्षेत्र में खानी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेस की मोटाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। डिज़िग एवं ब्लॉस्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,775.87	षष्ठम	35,824.80
द्वितीय	33,089.85	सातम	33414.01
तृतीय	43,722.81	अष्टम	30997.74
चतुर्थ	41048.91	नवम	29845.66
पंचम	38439.57	दशम	28357.76

12. जल आपूर्ति – परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम, स्वयं एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खारी और 7.5 मीटर की घाटी में वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घाटी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के खारी और 7.5 मीटर की सीमा घाटी का कुल क्षेत्रफल 4,117.14 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग 7 मीटर गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घाटी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः पर्यावरण प्रसाधक को विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे नीचे माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 113-15 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े संघटी क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुत माईनिंग आवेदन में उत्खनन क्षमता 10,098.88 टन प्रतिवर्ष उल्लेखित है, जबकि प्रस्तुत खारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,770.87	चतुर्थ	35,894.80
द्वितीय	33,099.85	पाचम	33414.01
तृतीय	43,722.81	अष्टम	30667.74
चतुर्थ	41348.91	नवम	28545.88
पंचम	38439.57	दशम	28357.78

समिति का मत है कि आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता अपेक्षित उत्खनन क्षमता 10,098.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्बंध किया गया था-

1. आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता अपेक्षित उत्खनन क्षमता 10,098.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कराये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेन के कुछ भाग में किये गये उखनन के कारण इस क्षेत्र के उपरानी उपारों (Remedial Measures) के संघ में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उखनन उद्भूत के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपारों तथा कृत्रिमता आदि के लिये समुचित उपारों बाबत संघालय, संघालनलय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इंदारवती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिक उखनन घटे जाने पर जीव उपरान्त निरमानुसार विधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालय, संघालनलय, भौमिकी तथा खनिकर्न एवं पर्यावरण को अति पत्रुचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को विधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 के परिधिष्य में परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

समिति द्वारा जमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. आगामी वर्ष में किये जाने वाले उखनन क्षमता आवेदित उखनन क्षमता 10,098.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए परिषेोजना प्रस्तावक का कथन है कि चुकि अनुमोदित खनन क्षेत्र काट में रिजर्व की गणना के अनुसार बनाई गई है। इस कारण आगामी वर्ष में किये जाने वाले उखनन क्षमता आवेदित उखनन क्षमता 10,098.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। पूर्व में भी सी.ई.आई.ए.ए., कर्नाटकवाजार से 10,098.88 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था, जिसकी सत्य सीमा सनात हो चुकी है। इस कारण से हमने उसी प्रोकराण के लिए आवेदन दिया है। साथ ही परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदता किया गया है कि 10,098.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक उखनन नहीं किया जाएगा तथा इस बाबत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में सत्य पत्र भी जमा किया जाएगा।
2. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रामाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संघ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिधिष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. मानवीय एन.जी.टी., विविधाल क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारीय पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2023 को जारीय आदेश में कुछ तथों से निम्नानुसार निर्दिशत किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. कार्यालय कसेक्टर (खनिज शोध), जिला-बलौदाबाजार-भद्राचल के जलन क्रमांक 309/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/08/2022 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधिगत 32 खदानें, क्षेत्रफल 63.273 हेक्टेयर हैं। आवंटित खदान (घास-घनीजरीस) का रकबा 1.82 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घास-घनीजरीस) को निरालोक्य कुल रकबा 65.095 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलन्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. नाईन लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सैफ्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपायों (Remedial Measures) की संज्ञा में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का कृतनीयता जांच के लिये समुचित उपायों कायदु संचालक, संचालनलय, भूमिहीन तथा खनिकर्ण, इत्यादी भवन, नया राधपुर अटल क्लर, जिला - राधपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जादु।
3. अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिरिक्त उत्खनन पाये जाने पर लीज उपरोक्त निम्नानुसार कैथनिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनलय, भूमिहीन तथा खनिकर्ण एवं पर्यावरण को अति पदुधाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया राधपुर अटल क्लर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जादु।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) चीन ईआईए /ईएमपी रिपोर्ट चीन प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारण इन्वॉल्वमेंट स्वीचमेंट अफ्टर ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(र) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) चीन कोल नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.



- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
- vii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for mining.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

एनडीएपीए के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एनडीएपीए), प्रतीक नं० को तदनुसार सूचित किया जाय।

5. मेसर्स आमाकोनी लाईन स्टोन कार्बो (प्री- सीमेंट प्रोडिक्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड, तहसील-सिन्हा, जिला-बलीदासजाट-नाटापारा (सिन्हालाय का नक्का क्रमांक 1816) ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनडीएपीए / सीजी / एनडीएपीए / 71308/2022, दिनांक 22/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अनिष्ट होने से कारण दिनांक 31/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 18/12/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कृषि पथर (सीम खनिज) खदान है। खदान तहसील-सिन्हा, जिला-बलीदासजाट-नाटापारा स्थित खदान क्रमांक 1 एवं 2, कुल क्षेत्रफल-1.009 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परमाणु क्षमता-20,128.39 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एनडीएपीए, प्रतीक नं० को कारण दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु की अनिष्ट सिंह ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में कृषि पथर (सीम खनिज) खदान खदान क्रमांक 1 एवं 2, कुल क्षेत्रफल-1.009 हेक्टेयर, क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निरीक्षण प्रधिकरण, जिला-बलीदासजाट-नाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"3A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and

21

subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत में ही नई कार्यवाही की जासकती प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधित क्षेत्र का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - b. निर्धारित शर्तानुसार कुशादेयन नहीं किया गया है।
 - c. विगत वर्षों में किये गये पर्यावरण (द्वितीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये पर्यावरण की वार्षिक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति तक (द्वितीय वर्ष में) समिन्ध विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. दान पंदावत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – पर्यावरण के संरक्षण में दान पंदावत आमाहोमी का दिनांक 10/12/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 3. पर्यावरण योजना – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघात्मक (ख. 2.) संघालनवायु, भूमिहीन तथा समिन्ध, नया रायपुर अटल नगर के पृ. आरण क्रमांक 8884/समिन्ध/न.प.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(2) तथा रायपुर, दिनांक 20/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (समिन्ध शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाभावा के आरण क्रमांक 204/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 20/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 84.024 हेक्टर है।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (समिन्ध शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाभावा के आरण क्रमांक 204/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 20/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनकेड आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
 6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज कीमती प्रतिभा रायपुर के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अवधि दिनांक 31/12/2011 से 30/12/2021 तक वैध थी। उपर्युक्त लीज क्षेत्र 20 वर्षों अवधि दिनांक 31/12/2021 से 30/12/2041 तक विस्तारित की गई है।
 7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन-नगडसमिन्ध, बलीदाबाजार वनविभाग, बलीदाबाजार के आरण क्रमांक/समिन्ध/खमिन्ध/2023

करीबतः, दिनांक 18/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकलता वन क्षेत्र की सीमा से 8.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महात्मा पूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकलता आबादी एवं स्कूल घान-आबादी की 1.15 कि.मी., अस्पताल घान-सुईला 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। लाला 1.48 कि.मी. एवं सिवन्ता 17.4 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिधीयता प्रस्तावक द्वारा 12 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्टली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
11. खदान खनन एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,33,803 टन, गार्डनेज रिजर्व 2,44,063 टन एवं सिवन्तेज रिजर्व 2,31,888 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,887.82 वर्गमीटर है। खदान काल्ट रोमी मेडोनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,510 घनमीटर है। बंध की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिजिटल नहीं किया जाता है एवं स्वरिटेज की आवश्यकता होने पर डी.डी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त कर, अधिकृत डिप्लोमेटिक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ़्यूज किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,241.33	चतुर्थ	15,785.00
द्वितीय	25,211.89	पंचम	14,324.12
तृतीय	20,487.57	अष्टम	12,949.89
चतुर्थ	18,848.69	नवम	11,841.71
पंचम	17,272.50	दशम	10,400.04

12. जल आपूर्ति – परिधीयता हेतु अनावश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 185 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में उत्खनन क्रमांक 20,128.39 टन प्रतिवर्ष उल्लेखित है, जबकि प्रस्तुत खानी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
------	------------------------	------	------------------------

[Handwritten signature]

अथवा	33,241.33	अथवा	15,765.02
द्वितीय	25,211.69	तृतीय	14,324.12
चतुर्थ	20,487.57	पंचम	12,949.69
षष्ठ	18,648.69	सप्तम	11,641.71
अष्टम	17,272.50	नवम	10,400.04

समिति का मत है कि आगामी वर्षों (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त को संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मीति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त को संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कराये जाने हेतु सब लेख किया जाए।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 को परिशिष्ट में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

समिति द्वारा नतीजा, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। अतः उक्त को संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए परिशोधन प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि अनुशोधित खनन योजना चार में रिजर्व की गणना के अनुसार बनाई गई है। इस कारण आगामी वर्षों में किये जाने वाले उत्खनन क्षमता आवेदित उत्खनन क्षमता 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। पूर्व में सी.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से 20,128.39 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इस कारण से हमने उम्मीदजनक के लिए आवेदन दिया है। साथ ही परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अस्पष्टता किया गया है कि 20,128.39 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन नहीं किया जाएगा तथा इस बाबत फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में शक्य सब चीजें जमा किया जाएगा।
2. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संकेत में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए सब प्रेषित किया गया था, इस परिशिष्ट में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. माननीय एन.टी.टी., डिभिजन्स वेब, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विस्फोट भस्म सरकल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑनलाइन एप्लिकेशन नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. कार्पोलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भद्रवात के द्वारा क्रमांक 304/अ.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 64.024 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घान-आमाकोनी) का रकबा 1.089 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-आमाकोनी) की मिलाकर कुल रकबा 65.093 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कालक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गनी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' श्रेणी का होने के कारण भस्म सरकल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैप्डर्ड टर्मा ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिवायर्सिग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अप्रॉपर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(i) का स्टैप्डर्ड टीओआर (लोक चुनवाई सहित) नीचे उल्लेखित प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न उल्लिखित टीओआर के साथ जारी किया जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंगीत की तदनुसार सुचित किया जाए।

बैठक सम्पन्न हो जाने के साथ सम्पन्न हुई।



(श्री. राजेश कुमार)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
प्रतीसंगीत



(श्री. वी.वी. वेन्कटेश)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
प्रतीसंगीत

बेसर्स क्विहा सैण्ड माईनिंग (संशोधन, धाम संरक्षण कविह्य)

को पाई लीज खसरा खसराक 135, कुल क्षेत्रफल - 4.99 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, धाम-कविह्य, तहसील-धामरा, जिला-उत्तर बल्लर कांकर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन बनता 44,900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन की जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कच्चाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खान पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राउंड जलवायन (डिस्ट्रिब्यूशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड जलवायन (Dewatering Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्पूरण (Replenishment) बाधक नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर हानिकार तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की कड़ी जांचकरी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना फलक (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के साथ में सीमेंट के खम्भे पड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज किताब द्वारा अधिसूचित किन्ही कालक्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल लम्बा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,900 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेधार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुस्तक बनाना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न किन्पुस्तों पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालिका एन.ई.आई.ए.

ए. उपरीखण्ड को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं में मासिक त्रीज क्षेत्र तथा त्रीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / गद्दी तट (बोर्नो ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारी (Levee) का सर्वे पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर किया जावेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levee) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levee) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतिम दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के अंतिम अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. उपरीखण्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्थिर क्षेत्र में भारी माहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। त्रीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग चार्जिट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन संयंत्र किन्हीं, सीमांकित एवं सीमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम खुदाई गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल सतह की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर बोर्नो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षण न हो। किसी भी पुनर्वास, स्टोरसेज, बाँध, एरीकट, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल स्तर के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र समी क्षेत्र में किया जाए जिसमें कुछ दिशाई आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों से आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अधिक उत्खनन कार्य जाने की स्थिति में परिवेक्षण प्रस्तावक को विवेक विधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न इमारतों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले कण्डुजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु क्लृप्ण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेक्षीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

कम और जल वायु परिवहन, संवाहन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तालुकीस्तरीय अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन से किया जाए, ताकि रेत खनन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में खनिज उपकरण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रथमिकता के अन्वय पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, लीसू, आम, इनली, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नव पीढी का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त जलवाह (जिसका सपोर्टदार टार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीढी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीढी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का पारस्परिक लेने संबंधी आदेश का तत्काल पत्र प्राप्त किया जाए। रोपित पीढी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का पारस्परिक लेने संबंधी आदेश प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीढी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीढी के नाम का तालिका बनाते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी आधारित रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण सौकरुति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीढी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुलरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आधारित रिपोर्ट में समहित कर्ते हुए तालिकागत पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., जालीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रकलन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
28.93	2%	0.58	Following activities at Village- Kartha	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.76

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अधिचार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिचार्यिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक प्राथमिकता प्राप्त होना। कुशासन असाफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घाटी और कुशासन (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान कुल 40 नग विराम से 10 नग कुल पूर्व से तालाब के घाटी और अवस्थित है। वीथ 30 नग घाटी के लिए प्रति 1,000 रुपये, पंचायत के लिए प्रति 4,000 रुपये, आर के लिए प्रति 1,500 रुपये, सिंचाई तथा एक-एक आदि के लिए प्रति 18,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल प्रति 25,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 1,00,000 रुपये हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम पंचायत करिता के सहयोगी उपरोक्त पंचायतों के स्थान (घरना इलाका 880, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामीण/प्रतिनिधि, काम पंचायत के सदस्य/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या ग्रामीण/पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण होने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें कमान/पंचायत/मंडल के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आने वाले कार्य मरे कार्यों का निरीक्षण भी अधिचार्य रूप से करना आगामी दिखेवाही होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से वेत अनुमति आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / ग्रामीण/पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / सर्वाधिकार का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. ग्रामीण/पंचायत वीथ समिति नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा वेत अनुमति हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/सर्तों एवं तदनुसार जारी विना निर्देशों, अनुमोदित पर्यवेक्षण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केंद्रित अधिक कार्य हुए जायें जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों को आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. अधिकारियों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहित/स्वीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मत्त मृग विसर्जन, अथवा खाद सामग्री के फेंक, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

34. शर्तों पर समय-समय पर आकृतोपनाम हेतु सविनियमित किया जाये।
35. उपखण्ड की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उपखण्ड योजना के अनुसार शर्तिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. एल.सी.एम. / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा खेन्द, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
37. एच.ई.आई.ए.ए. एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सफलता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषजनक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषजनक/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वास्तविक / निरस्त कर शर्तों को खोल कर करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आम-वास आसपास रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एच.ई.आई.ए.ए. एल.सी.एम. की वेबसाइट parishah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की शर्तों शर्तिक रिपोर्ट एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एच.ई.आई.ए.ए. एल.सी.एम. एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की नॉटिफिकेन की जाएगी।
40. एच.ई.आई.ए.ए. एल.सी.एम. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विज्ञानिकी/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉटिफिकेन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
41. परियोजना प्रस्तावक एल.सी.एम. पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वन (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशेकटमय अतिरिक्त (प्रदूषण प्रभाव एवं समाचार संयोजन) नियम, 2008 (ज्या

संसोधित) तथा लोक सभिला बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संसोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परिवर्जन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्जन होने की वरत में एस.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ इस पर विचार कर सती की उपयुक्तता अथवा नवीन सती निर्दिष्ट करने काका निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विवरण अथवा रजमजन एस.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ / मानत सखार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्जन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय पर्यावरणीय सर्वेक्षति की प्रति को जगती क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यवहार एवं राद्येन सन्ध एवं कन्सेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय सर्वेक्षति के विरुद्ध अपील मेहनत सीन ट्रीब्यूनल के समत, मेहनत सीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रत्यक्षी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


- अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

वेसाई करहीकरवार सैण्ड माईनिंग (संशोधन, खान पंचायत करहीकरवार)
को पार्ट ऑफ सलवा क्रमांक 204/1, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80
प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, खान-करहीकरवार, उहरीवा-बैलगावना,
जिला-बिलासपुर (छ.प.) में सलवा से रेत उत्खनन करवा 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु
प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पान की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अध्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में अपनाये 1.5 वर्ष से विलुप्त ग्राह अध्ययन (Situation Study) करावेना, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) काबजु सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्ष, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकार एवं देसांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के नाम में सीमेंट के खम्भे लहाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल सलवा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर को कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विश्व बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिका एन.ई.आई.ए.

ए. घाटीसागड़ को प्रस्तुत किये जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में सेा उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही विड बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सातह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार सेा खान उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही विड बिन्दुओं पर सेा सातह के लेवलस (Levels) का मापन किया जायेगा। सेा सातह के पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर सेा सातह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. घाटीसागड़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. सेा की खुदाई एवं मर्राई मशिनरी द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संपन्न (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निरर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निम्न सेा खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लैंडिंग प्वाइंट तक सेा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
12. सेा का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। सेा उत्खनन की अधिकतम गहराई सातह से 1 मीटर अथवा खान/खान जल स्तर की ऊपरी सातह से 1 मीटर छोड़कर दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। सेा का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की सेा नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. सेा उत्खनन नदी तटों के कम से कम 7.5 मीटर ऊंचा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिस, स्टेशन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि सेा उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लंबिकिटी एवं जल बाधा के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कण्डुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास सेा उत्खनन नहीं किया जाए।
16. सेा उत्खनन एवं मर्राई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधा उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमागुहार कार्यवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेा उत्खनन विभिन्न प्रभावों तथा लैंडिंग / अपलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले प्पुजिटिव इन्ट एक्शन के निर्धारण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। सेा उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, संशोधन, नई दिल्ली द्वारा अभिमुखित मानकों में अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन कार्बोनिंग अवधि अन्य उपयुक्त माध्यम से इतने दूर वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। कार्बोनिंग का परिवहन वन से वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं गरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. वाहन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में गरीबों के कटौत को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, पीप, करंज, लीसू, आम, इनली, पीलस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 800 वन पीछों का रोपण गरीब तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त साधन (जैसे काटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का प्रथम चक्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिशोधन प्रस्तावक का होगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख कर्ता हुई फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्थात्वारिक रिपोर्ट में साथ प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुशारोपण कर रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुशारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्वारिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये अर्थात्वारिक पर्यावरण संरक्षण कन्वेंशन एवं एस.ई.आई.ए.ए., अर्थात्वारिक की प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15.78	2%	0.32	Following activities at Village Pandra	
			Plantation at Village Pond	0.80
			Total	0.80

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वारिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर्ता हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपेक्ष उत्तरदायित्व होगा। कुशारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के बाड़ी और कुआरीयन (खम, कटहाल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान कुल 40 नग जिसमें से 10 नग कुल पूर्य से तालाब के बाड़ी और अवस्थित है। बाँव 30 नग बाँवों के लिए राशि 3,000 रुपये, बाँसों के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रक्षण आदि के लिए राशि 13,000 रुपये इस प्रकार कुल रूप में कुल राशि 22,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रुपये हेतु षट्कवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत पंचायत के सहयोग उपरोक्त पंचायत स्वयं (खसरा क्रमांक 89, बीजकल 2.728 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कुआरीयन कार्य के सीनिटरीय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रिपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरीयन का कार्य पूर्ण करने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जायें, तब उन्हें स्वयं/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अवश्यी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्थिति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तीरगढ़ ग्रीन खनिज नियंत्रण, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्तर्गत/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंमिग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्ति को आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाना जा सके।
33. शक्ति को के लिए खनन स्थल पर सख्य पेट्रोल विजिलेंसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में बल मूत्र विमर्जन, अपाव खाद सामग्री के फिक्ट, प्लास्टिक आदि का विमर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. शक्ति का समय-समय पर आक्यूमेन्टल हेल्थ सर्वेयेंस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. उत्तीरगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अर्थ यह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार बर्ताने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा सैन्य, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निलम्ब करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरन्धव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की शुरुआत प्रसारित करेगा कि परियोजना को समस्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भासा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन की वेबसाइट www.nera.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने वन पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण अधिनियम (प्रबंधन हस्तांतरण एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2008 (जिस संशोधित) तथा लोक पर्यावरण सेवा अधिनियम, 1986 (जिस संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णन इस पर विचार वन शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का शक्त निर्भर ले सके। पालन में कोई भी विवरण अथवा सुनवन एन.ई.आई.ए.ए.,

111

उत्तीर्ण / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं उद्योग क्षेत्र एवं जलेश्वर/तहसीलवार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल से समस्त मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

सचिव, एन.ई.ए.सी.

वेदना चांदा सैन्धु माईनिंग (सी-डी लिमिटेड सिंगु खनिज)

की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 507, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, पर्यावरणिक नियंत्रण-चांदा, तहसील-चांदा, जिला-जांजगीर चांदा (झ.प.) में हावड़ा नदी की रेत उत्खनन क्षमता 45,000 क्वन्टीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जानें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निर्धारण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैन्धु माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैन्धु माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैन्धु माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अध्ययन (मिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Dilatation Study) करानेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आसकें, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीव जानक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकार एवं देशीय सडित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किन्ती कलमर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा; रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 क्वन्टीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न किन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तालिका एन.ई.आई.ए.

ए. धरतीसतह को ज्ञात किया जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में से) उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व, इसी दिग् बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्वर्टीम एवं डाउनवर्टीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिग् बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार से खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिग् बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। सेत सतह के पूर्व निर्धारित दिग् बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. धरतीसतह को ज्ञात किए जायेंगे।

11. सेत की खुदाई एवं भरवाई भणिकाई द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण सामग्री (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निम्न क्षेत्र में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित सेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लेवेलिंग माईट तक सेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. सेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमांकित एवं परिमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। सेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल सतह की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। सेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक जो सेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. सेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किन्ती भी पुलिया, स्टाम्पिंग, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से सदान के अन्वर्टीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनवर्टीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि सेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल सतह के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसकी आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास सेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. सेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरा उत्खनन कार्य करने की स्थिति में परिवेक्षण प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा सेत उत्खनन विभिन्न जगहों तथा लेवेलिंग / जलवेवेलिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्युजिटिव जस्ट एलार्जमें के निबंधन हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल फिफ्टरस अथवा अन्य उपयुक्त उपकरणों की जाएं। सेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेक्षीय वायु की गुणवत्ता भला संरक्षण, पर्यावरण,

का और जल का परिवहन, मंगलम, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन कार्बनिलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं मटा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु सीज क्षेत्र के अनुसार कर्तुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कंज, चीन्हा, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को कुल 1,000 मग पीछी का रोपण नदी तट पर संविष्ट किया जाए। रोपण को सुवर्धित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा काटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछी का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का प्रथम पत्र प्रस्तुत किया जाए। संविष्ट पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवर्धन प्रस्तावक का रहेगा।
21. संविष्ट किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का पल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सटित जानकारी अधिवारिक रिपोर्ट में साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करती हुये वृक्ष पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्ठी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अधिवारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये उत्तरीगण्ड पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., उत्तरीगण्ड को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
81.50	2%	1.83	Following activities at, Nagar Palika Partshad-Champa	
			Plantation at Village pond	1.70
			Total	1.70

25. सी.ई.ओ. के तहत निर्धारित कार्यवाही 60 दिन में अधिकाधिक कम से पूर्ण किया जाए। सी.ई.ओ. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ध्यान पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिकाधिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.ओ. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कृपारोपण असाफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
26. सी.ई.ओ. के अंतर्गत ताजाब के चारों ओर कृषारोपण (आम, कस्टडल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 80 नग किताबों से 20 नग कुल पूर्ण से ताजाब के चारों ओर अवस्थित है। बीच 70 नग पीछों के लिए प्रति 7,000 रुपये, पीछों के लिए प्रति 10,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए प्रति 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 80,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 1,14,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिका परिषद बांध के सामने उपरोक्त पर्यावरण स्थान (खसरा क्रमांक 1820, क्षेत्रफल 2.088 हेक्टेयर) को संरक्षित करना प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.ओ. एवं कृषारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ध्यान पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/खदोप/घट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अधिकाधिक कम से कमाना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र / राज्य शासन के विभागीय, मन्त्रालय एवं अन्य संस्थानों से वेत प्राप्त करना आरंभ करने की पूर्ण आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर क्षेत्र/राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. पर्यावरण नीति अधिनियम, 2016, राज्य शासन द्वारा वेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/हार्ड एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल अधिक कार्य पर लागू जाते हैं तो ऐसे अधिनियमों के अन्तर्गत की गठित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अधिनियम व्यवस्था अस्थायी संस्थाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. अधिनियमों के लिए खनन स्थल पर लाल पेशकाल विकिरणशील सुविधा, गैरकाल टास्कट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में नल मृदु विचारण, अथवा खाद समुदायों के फेरेट, प्लैटिनम आदि का विचारण प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।

34. शक्तियों का समय-समय पर आवधिकतात्मक रीत्या सविकेंश कवाया जाये।
35. जलजनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित जलजनन योजना के अनुकूल वार्षिक योजना में किली भी प्रसार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. जलसीमापट्ट / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किली किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए. जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की कवरेज में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलान न करने की दृष्टि में किली भी शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना को शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित अधिकारालय, जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. जलसीमापट्ट की वेबसाइट www.eshi.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलान हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिलारावपुर, एस.ई.आई.ए.ए. जलसीमापट्ट एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के चलान की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. जलसीमापट्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर/क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परिवोजना प्रस्तावक जलसीमापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से चलान करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरक्षण) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरक्षण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनावे गये नियमों, परिशुद्धकृत्य अधिनियम (नियंत्रण इधालन एवं सीपानार संघलन) नियम, 2008 (जिस

संबंधित) तथा लोक सचिव सीमा अधिनियम, 1991 (जिस संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्ण में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्ण को पुनः नवीन जानकारी सहित सुधित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्ण इस पर विचार कर सती की उपयुक्तता अथवा नवीन सत विधि कने सब विधि ले सके। अतः में कोई भी विचार अथवा उल्लेख एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्ण / भारत सरकार, पर्यावरण, जन और प्रजासमु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण सचिव पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग बोर्ड एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित कनेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अतः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राधान्य अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


सदस्य, एस.ई.ए.सी.

वेनर्स मुडीअरिया स्टोन माईन (जो- वी परॉल अवकाल)

जो खदान क्रमांक 25, कुल जीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-मुडीअरिया, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में संचालन पथर (पीन खनिज) उत्खनन - 8,485 टन (3,034 टनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा सफाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (जीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छोटीसमूह हासल, खनिज हासल विभाग द्वारा संचालन पथर संचालन पथर का अधिकतम उत्खनन 8,485 टन (3,034 टनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। जीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करावन फर्क मुन्तरे जलाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कालक्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेतु दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा मन्त सन्कार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिचालन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नीतिकिर्षवान, 2006 (सब्य संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेघर द्वारा वाईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परिशोधना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कृषाक्षेपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेतु दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःउत्पा मन्त सन्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिचालन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छोटीसमूह पर्यावरण संचालन मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खानि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी से-वाँसिंग (re-greening) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह खान, कनसर्विषी, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. मिनी किमी / फीट / फाईट स्कोर्स से पार्टिकुलेंट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य क्वार्टर से कम सुनिश्चित किया जाए। ऊपर, खीन, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्कोर्स से उत्पन्न क्वार्टिजिटिक इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण इमारती एवं निर्धारित रूप से किया जाए। सूक्ष्म धूल, रेन्स, संछलन क्षेत्र, नगई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन किन्तुओं इस्ट कंटेनमेंट कम संवेग सिस्टम एवं जल सिफ्टकार की व्यवस्था की जाकर इमारत वायु संछलन / संछलन सुनिश्चित किया जाए। विषम ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
9. खाने, खाने एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसंधान रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के घाटी तक छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृत्रिमता किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उखाड़ी गई कच्ची मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन-उद्धार हेतु अथवा बाहरी क्षेत्र/खंडों को स्थिर (स्टैबिलाइज्ड) करने में किया जाए। कच्ची मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र से बाहर कृषक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरलैंड एवं अनुसंधानी/बिड़ी अर्थात् खनिज (वेस्ट रीक) को कृषक से पूर्व से विन्दीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार से भण्डारण करती को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊंचाई 3 मीटर तथा गल्ले 20 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंड ढग का सतह सोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृत्रिमता किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुसंधानी/बिड़ी अर्थात् खनिज (वेस्ट रीक) को खाने के परिसर बने गड्डों में पुन-भरण (रिक विजिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का भूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खाने प्रक्रिया से उत्पन्न मिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्कोर्स में प्रवेशित न हो। इसे सोकने हेतु नगईन पीट तथा ढग क्षेत्र में स्टैबिल वॉल / गार्डवेयड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन सेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को रास्ता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव वन कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अलग किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
31.63	2%	0.6326	Following activities at Nearby Village Pond, Village- Modipara	
			Plantation around village pond	0.78
			Total	0.78

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशासन असफल होने पर पर्यावरण सौंदर्य निरस्त की जायेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम एवं जामुन) कुशासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 42 नम पीछों के लिए राशि 4,200 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 6,300 रुपये, छाव के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा मछ-मछान आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 28,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मोदीपारा के सहमति उपरोक्त कुशासन स्थान (खतवा क्रमांक 208, क्षेत्रफल 0.4200 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशासन कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (डिप्टी/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित वि-क्षेत्र समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आये हुए द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडिंग डाम आदि में स्थानीय प्रजाति के 438 पौधों का रोपण कुशासन पूर्ण किया जाए। इतिल पट्टी का विस्तार संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रत्येक वर्ष के आधार पर खदान उत्खनन द्वारा वर्ष 2023-24 में तीस क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, मौसु, आम, इमली, जर्जुन, सीरल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम पौधों का रोपण (कुल 838 नम पौधों) खदान से खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुविधा रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कालेदान ताल के बड़ जगह ट्टी मार्ग का उपयोग) किया जाए। खदान उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशासन किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशासन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशासन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सौंदर्य निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किचे जाने वाले बीजों में संख्यांकन (Numbering) एवं बीजे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थित कुलरोपण किचे जाने एवं रोपित बीजों का सवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुलरोपण का मर-मर्राह आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत बीजों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किचे नये कुलरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अतिरिक्त रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रतीसमय पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमय को प्रेषित किया जाए।
27. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परिवर्धना से जिन-जिन स्थलों से पर्युजिटिव इफ्ट उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल रिडक्शन की व्यवस्था किया जाए।
29. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्वेंशन नियम (Minerals Concession Rule) में तहत बायम्प्ली डिप्लररी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा लालक, फोहर, गहर, मदी, नाला एवं अन्य जल निकासी के संरक्षण एवं संदर्भन किया जाए।
31. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मक आदि उपकरण किचे जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. सीज क्षेत्र के अंदर स्थानित/ प्रस्तावित इफ्ट पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसिलिटी सहित) लगाया जाए।
33. पाथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाइ सीम) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। रेट डिजिटिज अथवा कालु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित डिजिटिज किया जाए, जिससे इफ्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
36. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा नीचे उल्लिखित का उत्खनन प्रतीसमय मीन खनिज नियम, 2015 से प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि खनिज श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था प्रस्तावी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्धना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. शर्तों के लिए प्राण काल पर स्वच्छ वेदागत विधिवत्तीय सुविधा, मोबाइल टाइमिंग आदि की व्यवस्था परिलोकना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. शर्तों का समय-समय पर आकृष्टीकरण हेतु सविज्ञान करना आवश्यक है।
40. एलखनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित एलखनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें एलखनन, खनिज की मात्रा एवं अवधि निर्दिष्ट है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा लेन, देन एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के अन्वयण हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में फालन न करने की वशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्तारण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिपत्त सविज्ञान, प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. प्रतीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaa.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के फालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अम्बिकापुर एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ता शर्तों के फालन की वीरिटीरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए टरसटेंजी एवं आवेदन का पूर्ण रेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय के वीरिटीरिंग / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकथ में की जाने वाली वीरिटीरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक प्रतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिकार रूप में फालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिसंरक्षण



और अन्य अधिष्ठ (प्रबंध एवं सीमापार संघटन) नियम, 2018 तथा लोक शक्ति विनियम अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. इलाहाबाद परिवहन के बारे में एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिचालन होने की दशा में एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ को पुनर्नीत जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नहीं तर्क निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा सम्पन्न एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ / पर्यटन, सन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. उत्तीरगढ़ पर्यटन संरक्षण मण्डल पर्यटकीय लीक्यूटि की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यार एवं राष्ट्रीय कोष एवं कलेक्टर, तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए उपस्थित करेगा।
50. पर्यटकीय लीक्यूटि के विरुद्ध अपील महानगर वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, महानगर वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में विरुद्ध प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एल.ई.ए.सी.


सदस्य, एल.ई.ए.सी.

मेसर्स वैरमण्ड टेम्पलरी अर्बिन्गरी स्टोन कार्गी (प्रा.) - की सुरेश चन्दाकर)
को पार्ट जीक खसता क्लॉक 718, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, नगर पंचायत-वैरमण्ड,
तहसील-वैरमण्ड, जिला-बीजापुर में कुल पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल
सम्पत्ता - 2,00,083 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे को निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल सम्पत्ता - 2,00,083 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को कारी शर्तों में भी खाल जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा इलाहाबाद खानन, खनिज सतान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टीसी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कुल पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल सम्पत्ता - 2,00,083 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कन्तकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज कारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अर्थात् एवं रैजलर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिमुचित किसी कान्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित अंधार बर्सेन को नियंत्रित किया जाता है तो, सतत प्रतिकारों से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की सफित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता भवत सनकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संसाधन द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
8. भारतीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पर्यटन द्वार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार को लिए सेंट्रिक टैंक एवं सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सहायी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवरण में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सनकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिचालन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्रवृत्तिकाय पर्यवेक्षण संस्थान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुपाल सुनिश्चित किया जाए।

10. सभी पट्टा धारक ध्यान संचालन बंद करने की उपरोक्त (और ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खानों खानन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वनस्पतियाँ, पौधों आदि के उपरोक्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रभावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित ग्राईंग क्लीयरेंस प्लान एक माह की भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो ताँ) हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उल्लेखन आदेश कानून की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी किनारी / वॉल / गार्डेट बोर्ड से पर्टिकुलेट मीटर उल्लेखन की मात्रा 50 मिमी/घण्टा / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, सॉलिंग, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डास्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम को साथ साथ खोलना का बग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उल्लेखन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उल्लेखन परफुजिशन डास्ट उल्लेखन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पट्टेन चार्ज, रीफ, संवहन क्षेत्र, गार्डेट एवं अन्य डास्ट उल्लेखन किन्दुओं डास्ट कंटेनमेंट कम स्तरोंन सिस्टम एवं जल चिपकाव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ध ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. खानों, खानन एवं अन्य क्रियाओं से उल्लेखन वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न डास्ट मानकों को अनुपाल रखा जाएगा। उल्लेखन क्षेत्र में परिवेक्षीय वायु की पुनर्वाता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गड्ढे 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषारोपण किया जाए।
15. पर्यावरण क्रिया के दौरान डटाई गड्ढे ऊपरी मिट्टी (टॉप लॉईल) का उपयोग उल्लेखन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी लॉवरसॉईन को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) बनाने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप लॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर कृषक से भण्डारित कानून की अनुमति नहीं होगी।
16. लॉवरसॉईन एवं अनुसूची/किडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को कृषक से पूर्व के किन्हीं स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पट्टाई अना-पसल की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा सबसे 20 डिग्री से अधिक न हो। लॉवरसॉईन डम्प का सतत रोखने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो लॉवरसॉईन एवं अन्य अनुसूची/किडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खान के परिसर बने गड्ढों में पुनर्स्थापन (रिक विजिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का कुल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीड क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु सड़क पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / नारलेन्ड ड्रेन की आवश्यकता आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मेकनेजरी कन्टर्न वहन से किया जाए, ताकि खनिज बहन से बहुर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को सड़का से अधिक नहीं गटा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Village- Paterpara	
			Plantation	5.2029
			Total	5.2029

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्कवाचिक रिपोर्ट में समर्पित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। कुशलरूप अवसर होने पर पर्यावरण सौंदर्यति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत (सीम, काम, कर्म, कटन, जामुन, अमलतास आदि) कुशलरूप हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम पीछी के लिए सड़की 3,300 रुपये, सीमिंग के लिए 15,000 रुपये, खाद के लिए सड़की 750 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-रक्षा आदि के लिए सड़की 1,42,800 रुपये, इस प्रकार प्रत्ये वर्ष में कुल सड़की 1,42,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल सड़की 3,57,440 रुपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत परामर्श के सहमति उपरान्त कुशलरूप स्थान (खाद 207 टैन्कर 8.288 टैन्कर में से 0.808 टैन्कर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं कुशलरूप कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यावरण/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उल्लेख्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यावरण/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूप का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण पत्र/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खान/पट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत कार्य के द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक दिखेगा।
25. पर्यावरण हेतु निश्चित क्षेत्र (चौरी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरलैंड अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्ष का स्थान कुशलरूप किया जाए। इतिल पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी न होने के कारण दाम संघातत घातघात स्थित शासकीय भूमि कायाग कर्नाक 2017 के तका 8,288 हेक्टर में से 0,809 हेक्टर में 1,200 नग कूडरररन कार्र किया जायेगा।
27. प्ररनिकता के अरार नर अरारन प्ररररन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार नड, रीनर, रीन, कररर, रीरु, अर, इरली, अरुन, रीररर अररि अन्य ररररीर प्रररररररर के 200 नग रीररर का रीरन (कुल 1,400 नग रीररर) अररन के कुले क्षेत्र में किया जाए। रीरन को सुररररर रररने के लररे ररररुकर एवं रररररर अरररर (रररर कररररर ररर के नरड अरररर री नररर का रररररर) किया जाए। रररर ररररररर नररर होने की ररर में संररररर दाम संघातत दाम ररररररर क्षेत्र में ररररररररररर कूडररररन किया जाए। 5 फीर से 8 फीर ऊंररई रररर रीररर का री रीरन किया जाए। ररररररर कूडररररन प्रररन वर्ष में रूरर किया जाए। कूडररररन नररर करने पर ररररर रररररररररर रररररररररर ररररररर रररररर की जा सकरी री।
28. ररररररररररररररररररररररर (Milestone) एवं रीरर के नरर का ररररररर कररर रुरर रीररररररररर ररररर रररररर ररररर रररररररररर के सध रररर करे।
29. नररररररर लीज क्षेत्र के अंरर एवं नररर सधन कूडररररन ररररर करे एवं ररररर रीररर का सनरररररर ररर (Survival rate) 80 प्रीररर सुनरररररर किया जाए। सध री कूडररररन का ररर-रररर अररररर 5 वर्ष ररर सुनरररररर कररर रुरर रूर रीररर का रररररररररर (Mortality replacement) किया जाए।
30. रीररर ररर कूडररररन की रुररर रीरु की जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रररर एवं रीररररररर अरररररररर रीरररर में कनरररर कररर रुरर ररररररररर ररररररर संरररन सनररर एवं एररररररररर, ररररररररररर की ररररर किया जाए।
31. ररररररररर प्रररररररररररररर 7.5 मीरर रररररररररररर क्षेत्र में अररररररररर कररर एवं रीररररररर के रररर प्रररररररर कररर करररर नररर रररर जाये नर रररररररररर ररररररररर की ररररर करने की कररररररर की जररी।
32. ररररररररर से ररर-ररर रररररर से ररररररररररररर रररर रररररररर, ररर रररररर पर नरररररर ररर रररररररर की अररररर किया जाए।
33. ररररररररर रररररररररररररर रररररररर ररररररर रररर (Minerals Concession Rule) के रररर रररररररर ररररररररररररर रररर रररररररर का कररर सुनरररररर किया जाए।
34. ररररररररर रररररररररररररर ररररर, रीररर, नरर, नरर, नररर एवं अरर ररर रररररररर के संरररन एवं संरररन किया जाए।
35. ररररररररर प्रररररररररररररर अररर ररररररर के नरररररर रीरु अरररररर ररररर किया जाए। अररर का ररर रररररररररररर क्षेत्र में ररर के सधन 75 DB(A) एवं रररर के सधन 70 DB(A) से अरररर नररर रीरर ररररर। रीरर अरररर ररररर क्षेत्रों में कनर कररने रररर अररररररर की इरररररर/नरर अरररर ररररर रीरर जाए एवं सनध-सनध पर ररररररररररररर रीरर एवं अररररररररररररररर ररररर रररररररर की करररर जाए।
36. ररररर प्रररररररर / री.जी.एस.एस. से अररररर रररररर ररररररररररररररररर ररररर (Explosive License Holder) द्वारा सुररररर एवं नरररररर रीररर री कंरुल अरररररररर किया जाए। ररररर के रररर-रररर रुररररर (प्लरई रीररर) को रररने से रीररने रीरु रररररर एवं ररररर अररररर किया जाए। रीरर रुररररर अरररर रररु प्रररररर नररररररररररररररररररररर ररररररर रीरररर किया जाए, ररररररर रररर का ररररररररर नरररररर री ररर।

37. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के उपर अनंतुरा प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
38. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभीच स्थित जनसभियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, जनसभियों का समुचित संरक्षण अपनाया जायें।
39. क्षेत्र क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष हैं, जिसे बहुत आवश्यक होने पर ही उखाड़ना की कटाई महाम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की की जाएगी।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बिल्डिंग का उत्खनन भारतीयगढ़ ग्रीन बिल्डिंग नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नार्थन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
41. कार्य स्थल पर यदि बॉटमिंग बहिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे बहिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। भारतीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
42. बहिकों के लिए खनन स्थल पर मरुदा पेशजल विधिसम्बन्ध सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
43. बहिकों का समय-समय पर आसुरेक्षण एवं सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
44. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार बहिक योजना, जिसमें उत्खनन, बहिक की मात्रा एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए. भारतीयगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
45. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा बेहद, राज्य एवं सार्वजनिक कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
46. एन.ई.आई.ए. भारतीयगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/विरत करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वापस लेना / निरस्त के मामलों को और सहा करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
47. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाज पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, भारतीयगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए. भारतीयगढ़ की वेबसाइट panneshah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट भारतीयगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय सार्वजनिक भारतीयगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जयपुर, एन.ई.आई.ए. भारतीयगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय सार्वजनिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जयपुर को प्रेषित किया जाए।





48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदल शर्तों के पालन की नीतिदरिण की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझ-समझ पर इनतुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन को पूर्ण संत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
49. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नीतिदरिण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं खदे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निवृत्त की जा सकती है।
50. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टों तथा अन्य अधिनियम (प्रस्ता एवं सीमाचार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1994 (यथा संबंधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है।
51. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में इनतुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वृत्ता में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः खीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, तबकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नहीं शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विचलन अथवा वनमयन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
52. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनमें क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्याचार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की खबि के लिए प्रदर्शित करेगा।
53. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध खीन नैखाल वीन ट्रीभूनल के समझ, नैखाल वीन ट्रीभूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राधानों अनुसार, 30 दिन की समय खबि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

सचिव, एम.ई.ए.सी.

मेडगाँव बासीन परियोजना स्टेशन साईन (बी - श्री नीलम कुमार साहू)
 को असाव आदेश क्र 14009/1, कुल लीज क्षेत्र 0.52 हेक्टेयर, ग्राम-बासीन, तहसील-परिय,
 जिला-परियारबंद में परियोजना स्टेशन (सीन खनिज) उत्खनन - 2,438 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में देी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कच्चाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.52 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोनी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से परियोजना स्टेशन का अधिकतम उत्खनन 2,438 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कनाकर पक्की मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की तैयारी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नीतिनिर्देशन, 2006 (एनए संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकार एवं देशीय तहिय, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के अनुसार वृक्षाणन एवं परिचालन कार्य एवं खदान से परिच्छेदन सड़क तक पहुंच मार्गों के संभालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर को अर्थात् (Monthly Safety Monitoring Report) दक्षित की जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पर्यवेक्षण द्वारा साईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोध निवृत्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रावित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षाणन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोलरपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रावित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवास में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की पुनःस्थापना भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी उच्चतर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा कारक खान संभालन बंद करने के उपरंत (after cessing mining operations) खान क्षेत्र तथा किन्हीं भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खानन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोसिंग (re-vegetation) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह वाद, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उपरंत हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. सू-जल के उपयोग हेतु क्षेत्रीय सू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य क्वॉटर से जल का उपयोग किसे जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किन्हीं किन्हीं / बेंट / चाईट खोली से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, सडीय, ट्रांसकर फाइट्स (यदि बोर्ड ही) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ एक उच्चता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न पार्टिकुलेट इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रोड, संवहन क्षेत्र, मलाई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन किन्तुओं इस्ट कंटेनमेंट कम संरक्षण सिस्टम एवं जल सिंचन का व्यवस्था की जाकर इसका सख्त संभालन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। सिंक ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. कचरे, खान एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों से अनुत्पन्न रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंडालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बाहरी तरफ ड्रेजिंग का कार्य किये जाने के उपरंत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
14. सीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में जोई वेस्ट का काम / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में सुरक्षित किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय सौकरिता किन्हीं भी समय आवश्यक प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन क्रिया के दौरान हवाई माई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग से न जाने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी क्षेत्रों में सिंथ (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रम एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. डीमनबॉर्डन एवं अनुमोदनी/किन्हीं क्षेत्रों में खनिज (सिल्ट रोक) को पुनःक से पूर्व से विनीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को सचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ असा-वास की भूमि पर

निर्धारित अंश न हो। अन्व की लंबाई 3 मीटर तथा सतह 28 डिग्री से अधिक न हो। जीवखर्च अन्व का अन्व सेकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृतनीय किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो जीवखर्च एवं अन्य अनुसंधानी/विज्ञान आधारित खनिज (रेस्ट रोक) को खनन के पर्याप्त बने गड़कों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्ट लीच क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल खाँदों में प्रवाहित न हो। इसे सेकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल / सारलेस ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची बहन से किया जाए, ताकि खनिज बहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बहनों को बमटा से अधिक नहीं गरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार बमटा पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.38	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Basin	
			Potable Drinking Water Facility with AMC	0.25
			Plantation	0.04
			Total	0.29

22. सी.ई.आर. से संबंधित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के आचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आचार्यिक रिपोर्ट में समाहित कलें हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यंत उत्तरदायित्व होगा। कृतनीय असाध्य होने पर पर्यावरण सौंदर्य निराला की जावेगी।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिषद/प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कृतनीय कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (मैजस्ट्रैट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिषद/प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कृतनीय कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यवित करवाया जाए।





24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/सड़का के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के लक्ष्य आपसी द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपसी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरकॉन क्रम आदि में स्थायी प्रकृति के 429 नग वृक्षों का प्रदान वृक्षा रोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, चीन्हा, आम, इपारी, अर्जुन, पीला आदि अन्य स्थायी प्रजातियों के 60 नग पीछे का रोपण (कुल 489 नग पीछे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या करंटदार तार से बाड़ अथवा डी पार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षा रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षा रोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं रोप 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछे का ही रोपण किया जाए। वृक्षा रोपण नहीं करने पर जली पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पन्न निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित विवेक जाने वाले पीछे में संख्यांकन (Marking) एवं पीछे के नाम का उल्लेख कर्तव्य हुवे डिप्लोमा (Tag) फोटोग्राफ सहित जानकारी प्राप्त प्रविष्टन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षा रोपण विवेक जाने एवं रोपित पीछे का बचाव/विलोपन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षा रोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मूल पीछे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपसी द्वारा रोपित पीछे के वृक्षा रोपण को सफल बनाना आपसी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. विवेक गये वृक्षा रोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अधिाधिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण नम्बर एन एम.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के लक्ष्य प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करवा लीज इन्फार्मेशनल सेक्टर में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करवा नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हेलमेट/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधस्तरीय जीव एवं आवाजकता अनुसार उनका संचार भी कराया जाए।
32. कंट्रोल ब्लॉकिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए परन्तु के छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई रोका) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गेट क्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अध्यापित क्रिलिंग किया जाए, जिससे बल्ट का वास्तविक नियंत्रण में रहे।

[Handwritten signature and initials]

33. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल सार के उपर असंरुप ज्वाल में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपनाया जायित होना।
35. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा गीत खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गीत खनिज नियम, 2016 के प्राधान्य, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल्प योजना के अनुसार किया जाए। मईन एक्ट 1982 के प्राधान्य का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि खनिज खनिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे खनिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अल्पायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. खनिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विविधस्तरीय सुविधा, गोबरगत टायरेट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. खनिकों का समय-समय पर आसुर्यकाल हेतु सर्विलेस करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार कारिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की खोज एवं अधिशुद्ध सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कायदा / विधियों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषपूर्व रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा संशुद्धन / निस्तार के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आम-जन व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट sarvash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की भविष्य

की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण संतुष्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अपरिचित (प्रबंध एवं सीमायम संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किरान में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विफलता अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-खाणार एवं राष्ट्रीय सैन्य एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.